एएफआर

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

आपराधिक अपील संख्या 1860 वर्ष 2023

1. राज मिश्रा पुत्र सुरेश मिश्रा उम्र लगभग 20 वर्ष निवासी वृंदा नगर, पी.एस. वैशाली नगर भिलाई, जिला. दुर्ग (छत्तीसगढ़).
2. ऋषभ पासवान पुत्र देवनारायण पासवान, उम्र लगभग 23 वर्ष निवासी कैंप-2, पावर हाउस, पी.एस. छावनी भिलाई, जिला. दुर्ग (छत्तीसगढ़).
3. सोमनाथ उर्फ अक्षय पुत्र परदेशी लाल, उम्र लगभग 25 वर्ष निवासी कैम्प-1 भिलाई, पी.एस. वैशाली नगर, जिला. दुर्ग (छत्तीसगढ़).

---- अपीलकर्ता

विरूद्ध

थाना प्रभारी, वैशाली नगर के माध्यम से छत्तीसगढ़ राज्य, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़।

---- उत्तरवादी

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

एवं

आपराधिक अपील संख्या 2078 वर्ष 2023

1. रामकुबेर गुप्ता पुत्र थेराई गुप्ता उम्र लगभग 48 वर्ष,
2. सुनील गुप्ता पुत्र रामकुबेर गुप्ता उम्र लगभग 26 वर्ष,
3. मुनीर गुप्ता पुत्र रामकुबेर गुप्ता उम्र लगभग 25 वर्ष,
4. रमेश जंगाड़े पुत्र लक्ष्मण जंगाड़े उम्र लगभग 57 वर्ष,
5. गोपीराव पुत्र जानकी राव उम्र लगभग 26 वर्ष,

सभी निवासी वृंदा नगर, पुलिस स्टेशन वैशाली नगर, भिलाई, जिला दुर्ग (छ.ग.)

---- अपीलकर्ता

विरूद्ध

छत्तीसगढ़ राज्य के माध्यम से स्टेशन हाउस ऑफिसर, पुलिस स्टेशन वैशाली नगर, भिलाई, जिला, दुर्ग, छत्तीसगढ़।

---- उत्तरवादी

अपीलकर्तागण द्वारा	:	श्री अशोक कुमार वर्मा, श्री टी. के. झा, श्री बी. पी. सिंह, श्री गजेंद्र कुमार साहू और श्री सुधांशु कुमार सिंह, अधिवक्ता।
आपत्तिकर्तागण द्वारा	:	श्री जयदीप सिंह यादव, अधिवक्ता।
राज्य द्वारा	:	श्री आर.एस. मरहास, अतिरिक्त ए.जी.

माननीय श्री न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा, मुख्य न्यायाधीश
माननीय श्री न्यायमूर्ति रवीन्द्र कुमार अग्रवाल, न्यायाधीश
बोर्ड पर निर्णय

03.04.2024

माननीय श्री न्यायमूर्ति रवीन्द्र कुमार अग्रवाल,

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

1 चूंकि दोनों अपीलें एक ही अपराध और एक ही सत्र मामले से उत्पन्न हुई हैं, इसलिए उन्हें इस एक ही निर्णय द्वारा एक साथ सुना और निराकृत किया जा रहा है।

2 इन अपीलों के माध्यम से अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, दुर्ग द्वारा सत्र प्रकरण क्रमांक 130/2020 में दिनांक 21.09.2023 को घोषित निर्णय व दण्डादेश को चुनौती दी गई है, जिसके तहत अपीलकर्ताओं को दोषी ठहराया गया है और निम्नानुसार दण्डादेश दिया गया है:

आरोपी	अपराध	सजा
राज मिश्रा, ऋषभ पासवान, सोमनाथ @ अक्षय सीआरए 1860/2023	भारतीय दंड संहिता की धारा 302/149 के तहत	प्रत्येक आरोपी को आजीवन कारावास और 1000/- रुपये का जुर्माना, जुर्माना राशि का भुगतान न करने पर 6 महीने का अतिरिक्त सश्रम कारावास।
	भारतीय दंड संहिता की धारा 148 के तहत	तीन वर्ष का कठिन कारावास तथा 1000/- रुपये का जुर्माना, जुर्माना राशि का भुगतान न करने

आरोपी	अपराध	सजा
		पर प्रत्येक आरोपी को 6 माह का अतिरिक्त कारावास।
रामकुबेर गुप्ता, सुनील गुप्ता, मुनीर गुप्ता, रमेश जांगड़े, गोपीराव सीआरए 2078 /2023	भारतीय दंड संहिता की धारा 302/149 के तहत	प्रत्येक आरोपी को आजीवन कारावास और 1000/- रुपये का जुर्माना, जुर्माना राशि का भुगतान न करने पर 6 महीने का अतिरिक्त सश्रम कारावास।
	भारतीय दंड संहिता की धारा 148 के तहत	तीन वर्ष का कठिन कारावास तथा 1000/- रुपये का जुर्माना, जुर्माना राशि का भुगतान न करने पर प्रत्येक आरोपी को 6 माह का अतिरिक्त कारावास।

सभी सजाएं एक साथ चलाने का निर्देश दिया गया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3 मामले के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि मृतक शैलेश यादव का जूते का व्यवसाय था और अपने व्यवसाय के लिए उसने आरोपी राज मिश्रा से 50,000/- रुपए उधार लिए थे। उधार ली गई रकम चुकाने में विफल रहने पर आरोपी राज मिश्रा उससे नाराज था और अपना गुस्सा दिखा रहा था। दिनांक 10.03.2020 को लगभग 10:15 बजे आरोपी राज मिश्रा ने मोबाइल फोन से शैलेश यादव को होली का त्यौहार मनाने के लिए आंध्रा स्कूल, कैंप-1, भिलाई के पास बुलाया। शैलेश अपने दोस्त मनीष यादव के साथ राज मिश्रा के घर गया। आरोपी राज मिश्रा उन्हें अपनी कार से आंध्रा स्कूल की ओर ले गया। जब वे आंध्रा स्कूल के पास पहुंचे तो आरोपी राज मिश्रा अपनी कार से बाहर निकला और अपने दोस्तों ऋषभ पासवान, मुनीर गुप्ता, रमेश जांगड़े, गोपीराव, सोमनाथ, सुनील गुप्ता और रामकुबेर गुप्ता को बुलाया, जो लाठी-डंडों से लैस होकर उसके पास घात लगाए बैठे थे। शैलेश जब अपनी कार से उतरा तो आरोपी राज मिश्रा ने अपनी कार से लोहे की रॉड

निकाली और सभी आरोपियों ने शैलेश पर हमला करना शुरू कर दिया। उन्होंने मनीष यादव का भी पीछा किया, लेकिन वह घटनास्थल से भाग गया। जब गवाह हरिश्चंद यादव ने बीच-बचाव करने की कोशिश की तो आरोपियों ने उसे भी धमकाया। शैलेश यादव के सिर और शरीर के अन्य हिस्सों पर कई चोटें आईं। वह गिर गया और बेहोश हो गया। आरोपी राज मिश्रा ने अपनी कार शैलेश के शरीर पर चढ़ा दी और सभी आरोपी भाग गए। मृतक को पहले स्पर्श अस्पताल सुपेला ले जाया गया, जहां से उसे सेक्टर-9 अस्पताल भिलाई भेज दिया गया, लेकिन उसकी मौत हो गई।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4 मृतक शैलेश यादव की मृत्यु की सूचना चिकित्सक द्वारा थाना प्रभारी, पुलिस थाना सेक्टर-6, भिलाई को प्र. पी/44 के माध्यम से दी गई, जहां थाना भिलाई नगर की पुलिस द्वारा मर्ग सूचना प्र. पी/43 दर्ज की गई। बिना क्रमांक की मर्ग सूचना क्षेत्राधिकारी पुलिस थाना वैशाली नगर, जिला-4-दुर्ग को भेजी गई, जहां मर्ग सूचना क्रमांक प्र. पी/45 दर्ज की गई। दिनांक 12.03.2020 को प्र. पी/4 के माध्यम से साक्षियों की उपस्थिति में शव की जांच प्रतिवेदन तैयार की गई तथा शव को पोस्टमार्टम हेतु शासकीय अस्पताल, सुपेला, भियाली भेजा गया। मृतक के शव का पोस्टमार्टम चिकित्सकों की टीम द्वारा किया गया, जिसमें डॉ. ए. श्रीवास्तव अभियोजन साक्षी क्रमांक-9, डॉ. ए. नागदेव एवं डॉ. एस.के. वाल्वंद्रे शामिल थे। पोस्टमार्टम के बाद उन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रदर्श. पी/37 दी। पोस्टमार्टम करते समय डॉक्टरों को मृतक के शरीर पर निम्नलिखित चोटें मिलीं:

> "नाक की हड्डी में फ्रैक्चर, माथे पर 6x2x1.5 सेमी का कटा हुआ घाव। गहरी हड्डीदार। दाहिनी भौं के ऊपर 1x1x0.5 सेमी और भौं के नीचे

1X1x05 सेमी सतही चोट। दोनों आंखों का काला "नाक की हड्डी में फ्रैक्चर, माथे पर 6x2x1.5 सेमी का कटा हुआ घाव। गहरी हड्डीदार। दाहिनी भौं के ऊपर 1x1x0.5 सेमी और भौं के नीचे 1X1x05 सेमी सतही चोट। दोनों आंखों का काला पड़ना। चेहरे का रंग गुलाबी, होली के गुलाल का रंग। बाईं ओर कान के पीछे 1x1x1 सेमी का घाव। बाएं गाल पर 3x2x0.5 सेमी का खरोंच। पूरे दाहिने कंधे के जोड़ पर भूरे रंग का काला घाव। दाहिनी कोहनी पर 4X3 सेमी का घाव। दाहिनी भुजा पर कोहनी के चारों ओर 1x1x0.25 सेमी के तीन घाव। दाहिने हाथ की सभी इंटरडिजिटल दरारें मौजूद हैं। बाएं शाफ्ट पर कई फ्रैक्चर। दाहिनी कलाई के जोड़ में फ्रैक्चर। अनेक चोट 10x0.5x0.5 सेमी बाएं शाफ्ट पर। दूसरी और तीसरी इंटरडिजिटल दरार. चोट मौजूद है. कूल्हे के जोड़ पर घर्षण 7x1x0.5 सेमी. बाएं कूल्हे के जोड़ पर घर्षण 3x2x.05 सेमी. दाहिने कांख पर घर्षण 4x3x0.5 सेमी. दोनों घुटनों पर घर्षण 1x1x0.25 सेमी.

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

डॉक्टर के मतानुसार मौत का कारण शॉक और रक्तस्राव है जो कई महत्वपूर्ण अंगों के टूटने और कई फ्रैक्चर से जुड़े पॉली ट्रॉमा के कारण हुआ है. मौत के तरीके के संबंध में, डॉक्टरों ने परिस्थितियों और साक्ष्यों को सहसंबंधित करने की सलाह दी. मौत के बाद से बीता समय नहीं बताया जा सका क्योंकि शव को फ्रीजर में रखा गया था.

5 पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों द्वारा संक्षिप्त पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श.पी/38 भी दी गई जिसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श.पी/37 में दी गई राय को दोहराया गया। पुलिस द्वारा पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों से प्रदर्श.पी/40-ए के तहत और प्रश्न किया गया जिसका उत्तर डॉक्टर ए. श्रीवास्तव, अभियोजन साक्षी क्रमांक-9 द्वारा इस प्रकार दिया गया है:

प्रश्न	उत्तर
क्या मृतक के शरीर पर कार चढ़ाने के सबूत है।	मेरी राय में, शव पर टायर के कोई निशान नहीं पाए गए क्योंकि व्यक्ति ने ऐसे कपड़े पहने हुए थे जिन्हें पहले ही सुरक्षित रख लिया गया था।
क्या कार चढ़ाने से मृतक के अंग क्षतिग्रस्त हुये है।	मेरी राय में, आंतरिक अंगों का बहु आघात भारी वाहन के कारण हो सकता है जो कार हो सकती है।

6 दिनांक 12.03.2020 को अपीलार्थी/आरोपी के विरुद्ध धारा 302 एवं 120-बी भारतीय दण्ड संहिता के तहत प्रथम सूचना पत्र प्र. पी/43 एवं पी/48 दर्ज की गई थी, जिसमें सभी 8 आरोपियों को नामजद किया गया था। दिनांक 12.03.2020 को मृतक के पिता राधे प्रसाद यादव ने प्र. पी/65 के तहत थाना वैशाली नगर भिलाई की पुलिस को लिखित रिपोर्ट दी थी, जिसमें उन्होंने आरोपियों को अपने बेटे पर हमला करने वाला भी बताया था। दिनांक 11.03.2020 को ही पुलिस ने घटनास्थल से खून से सनी मिट्टी एवं सादी मिट्टी जब्ती पत्र प्र. पी/49 के तहत जब्त की है। अस्पताल से भेजे गए मृतक के कपड़े भी दिनांक 12.03.2020 को जब्ती पत्र प्र. पी/50 के तहत जब्त किए गए। पुलिस द्वारा घटनास्थल का नक्शा प्र. पी/5 तैयार किया गया तथा पी/42 का नक्शा राजस्व निरीक्षक, नगर निगम, भिलाई द्वारा तैयार किया गया था। आरोपी व्यक्तियों को 13.03.2020 को हिरासत में लिया गया और पुलिस ने उनके मेमोरण्डम बयान दर्ज किए हैं और उनके बयान के आधार पर विभिन्न जप्ती निम्नानुसार की गई हैं:

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

आरोपी का नाम	मेमोरण्डम बयान	जप्ती पत्र	जब्त किया गया सामान
सुनील कुमार गुप्ता	Ex.P/6	Ex.P/21	बांस की लाठी
सोमनाथ उर्फ अक्षय	Ex.P/7	Ex.P/22	बांस की लाठी
रामकुमार गुप्ता	Ex.P/8	Ex.P/18	बांस की लाठी
शम्भू गुप्ता उर्फ मुनीर गुप्ता	Ex.P/9	Ex.P/16	बांस की लाठी
गोपी राव	Ex.P/10	Ex.P/17	बांस की लाठी
रमेश जांगड़े	Ex.P/11	Ex.P/19	बांस की लाठी
रिषभ पासवान	Ex.P/12	Ex.P/20	बांस की लाठी
राज मिश्रा	Ex.P/13	Ex.P/14	वेरना कार क्रमांक CG-07-MB-279
		Ex.P/5	लोहे का रॉड खून जैसा धब्बा लगा हुआ

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7 आरोपियों से जब्त सभी हथियारों में खून जैसे दाग पाए गए तथा मारपीट के हथियार को जांच रिपोर्ट के लिए मृतक के शव का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर के पास भेजा गया, जहां डॉक्टर द्वारा जांच रिपोर्ट प्र. पी/39 दी गई तथा बताया गया कि कपड़े, रॉड, लाठी व डंडा की जांच करने पर एमएलसी फॉर्म में बताई गई चोटें उक्त रॉड, लाठी व डंडा से आई हो सकती हैं। दिनांक 20.03.2021 को मृतक के पिता ने पुनः थाना वैशाली नगर में प्र. पी/52 के माध्यम से आरोपियों द्वारा धमकी दिए जाने के संबंध में शिकायत की।

8 जांच के दौरान गवाहों के धारा 161 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत बयान दर्ज किए गए। साथ ही प्रत्यक्षदर्शियों के धारा 164 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत बयान भी दर्ज किए गए। जब्त लाठी, लोहे की रॉड, मृतक के कपड़े, खून के धब्बे और सादी मिट्टी को

एफएसएल जांच के लिए राज्य एफएसएल, रायपुर भेजा गया, जहां से एफएसएल रिपोर्ट प्रदर्श. पी/65 प्राप्त हुई, जिसके अनुसार सादी मिट्टी को छोड़कर, भेजी गई सभी वस्तुएं यानी लाठी, डंडा, लोहे की रॉड, मृतक के कपड़े और खून के धब्बे मानव रक्त से सने पाए गए, जबकि मृतक के अंडरवियर, बेल्ट और ब्रेसलेट पर लगा खून बिखरा हुआ था। सामान्य जांच पूरी होने के बाद आरोपियों के खिलाफ धारा 302, 120-बी, 147 और 148 भारतीय दण्ड संहिता के तहत न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दुर्ग के समक्ष अभियोगपत्र पत्र दाखिल किया गया। उपार्पण पश्चात मामला सत्र न्यायालय को सौंप दिया गया था, जहां से विचारण हेतु विचारण् न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9 विचारण् न्यायालय द्वारा आरोपीगण के विरूद्ध धारा 148 और 302 के साथ धारा 149 आईपीसी के अंर्तगत आरोप विरचित किए हैं। आरोपीगण द्वारा अपने ने अपराध से इनकार किया, विचारण की मांग की।

10 आरोपियों के खिलाफ आरोप साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष ने 15 गवाहों को प्रस्तुत किया है। आरोपीगण द्वारा अपने बचाव में 5 गवाहों सरोज वर्मा, प्रतिरक्षा साक्षी क्रमांक-1, जय प्रकाश जायसवाल प्रतिरक्षा साक्षी क्रमांक-2, डिकेश कुमार देवांगन प्रतिरक्षा साक्षी क्रमांक-3, सोमवती प्रतिरक्षा साक्षी क्रमांक -4 और शारदा शिंदे प्रतिरक्षा साक्षी क्रमांक-5 का साक्ष्य प्रस्तुत किया है। अपीलकर्ताओं के धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत बयान भी दर्ज किए गए हैं, जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ दिखाई देने वाली परिस्थितियों से इनकार किया है और कहा है कि वे निर्दोष हैं और उन्हें अपराध में झूठा फंसाया गया है।

11 उभयपक्षों द्वारा प्रस्तुत मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों की विवेचन के पश्चात, विचारण न्यायालय ने आरोपीगण को दोषी ठहराया है तथा सजा सुनाई है, जिसका उल्लेख निर्णय के प्रारंभिक पैराग्राफ में किया गया है। इसलिए ये अपीलें प्रस्तुत हैं।

12 सी.आर.ए. संख्या 1860/2023 में अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि अभियोजन पक्ष अपने मामले को संदेह से परे साबित करने में विफल रहा है। प्रत्यक्षदर्शियों तथा अन्य गवाहों के साक्ष्यों में भी पर्याप्त असंगतता है। प्रत्यक्षदर्शी अभियोजन साक्षी क्रमांक-1 हरिश्चंद यादव, अभियोजन साक्षी क्रमांक-4 सुनील पांडेय तथा अभियोजन साक्षी क्रमांक-5 रामहरि गोंड ने अपीलकर्ता राज मिश्रा, ऋषभ पासवान तथा सोमनाथ उर्फ अक्षय की पहचान नहीं की है। अपने 164 दण्ड प्रक्रिया संहिता के बयान में उन्होंने इन अभियुक्त अपीलकर्ताओं के विरुद्ध कुछ भी नहीं कहा है। अन्य प्रत्यक्षदर्शी साक्षी अभियोजन साक्षी क्रमांक-6 मनीष यादव ने वर्तमान अपीलकर्ताओं को हमलावर नहीं बताया है, तथा उन्होंने केवल पांच अन्य सह-अभियुक्तों का नाम लिया है। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि वर्तमान मामले में उद्देश्य भी साबित नहीं हुआ है। तथाकथित प्रत्यक्षदर्शी अलग-अलग स्थानों के निवासी हैं तथा प्रासंगिक समय पर घटनास्थल पर उनकी उपस्थिति अत्यधिक संदिग्ध है। वे पुलिस द्वारा लगाए गए गवाह हैं। मामले में कोई मकसद साबित नहीं हुआ है। तथाकथित प्रत्यक्षदर्शियों के 161 दण्ड प्रक्रिया संहिता का बयान दर्ज करने में देरी हुई है। मेमोरण्डम और जब्ती के गवाह भी विश्वसनीय नहीं हैं, और उन्होंने अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं किया है। अपराध के हथियार पर पाए गए रक्त के किसी भी रक्त समूह की अनुपस्थिति में, यह भी विश्वसनीय नहीं है। यह स्थापित नहीं

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

किया गया था कि जब्त सामाग्री/अपराध के हथियार सुरक्षित अभिरक्षा में रखे गए थे और उन्हें छेड़ा नहीं गया था। डॉक्टर ने स्पष्ट रूप से यह नहीं कहा है कि मृतक की मृत्यु हत्यात प्रकृति की थी। इसलिए, मृतक की हत्या के बारे में कोई स्पष्ट निष्कर्ष न होने पर, आरोपी व्यक्तियों को हत्या के अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता है और इस तरह वे दोष मुक्त होने के हकदार हैं।

13 सी.आर.ए. संख्या 2078/2023 के अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता कहा कि जिन गवाहों ने कथित रूप से घटना को देखा था अर्थात् गवाह सत्येन्द्र यादव, ठाकुर प्रसाद यादव और मिठाई लाल यादव से अभियोजन पक्ष द्वारा पूछताछ नहीं की गई है। संजय यादव, अभियोजन साक्षी क्रमांक-2, जिनसे प्रत्यक्षदर्शी के रूप में पूछताछ की गई है, वास्तव में प्रत्यक्षदर्शी नहीं हैं। इन चार गवाहों से पूछताछ के बाद एफ.आई.आर. दर्ज की गई है और इन चार गवाहों में से तीन से पूछताछ नहीं की गई है और गवाह संजय यादव, अभियोजन साक्षी क्रमांक-2 ने स्वयं विरोधाभासी बयान दिया है। उन्होंने आगे यह भी तर्क प्रस्तुत किया कि तथाकथित प्रत्यक्षदर्शी अभियोजन साक्षी क्रमांक-1 हरिश्चंद यादव, अभियोजन साक्षी क्रमांक-4 सुनील पाण्डेय, अभियोजन साक्षी क्रमांक-5 रामहरि गोंड और मनीष अभियोजन साक्षी क्रमांक-6 का नाम एफ.आई.आर. में नहीं था। गवाहों ने अपने साक्ष्य में तीन आरोपियों अर्थात राज मिश्रा, ऋषभ पासवान और सोमनाथ का नाम नहीं लिया है, लेकिन पांच अन्य सह-आरोपियों को आरोपित किया है और इसलिए, उनके साक्ष्य विश्वसनीय नहीं हैं। अभियोजन पक्ष ने महत्वपूर्ण गवाह की जांच नहीं की है। वे यह भी प्रस्तुत करेंगे कि अभियोजन साक्षी क्रमांक-5 रामहरि गोंड के साक्ष्य से ऐसा प्रतीत

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

होता है कि उसने घटना और हमलावरों के नाम मृतक के पिता यानी राधेलाल अभियोजन साक्षी क्रमांक-14 को स्पर्श अस्पताल में 10.03.2020 को सूचित किया था, हालांकि, उन्होंने तुरंत पुलिस को इसकी सूचना नहीं दी। उन्होंने लगभग दो दिन बाद यानी 12.03.2020 को शिकायत की। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि मृतक के भाई संजय यादव अभियोजन साक्षी क्रमांक 2 और राधे प्रसाद यादव अभियोजन साक्षी क्रमांक के धारा 161 दण्ड प्रक्रिया संहिता के बयान लगभग 3 दिन बाद दर्ज किए गए हैं तथा तथाकथित चश्मदीद गवाहों के बयान लगभग 23 दिन बाद दर्ज किए गए हैं, उन्हें मृतक का करीबी रिश्तेदार बताया गया है, लेकिन उन्होंने अपने बयान दर्ज होने तक घटना की जानकारी नहीं दी, इसलिए उनके धारा 161 दण्ड प्रक्रिया संहिता का बयान दर्ज करने में अस्पष्ट देरी हुई है, जो अभियोजन पक्ष के लिए घातक है। मृतक के पिता राधे प्रसाद द्वारा की गई लिखित शिकायत को आरोप पत्र के भाग के रूप में दर्ज नहीं किया गया था तथा केस डायरी में दर्ज किया गया था, जिसे जांच अधिकारी लल्लन सिंह, अभियोजन साक्षी क्रमांक-13 द्वारा स्वीकार किया गया है, जिससे अभियोजन पक्ष के मामले पर भी संदेह पैदा होता है। उनके द्वारा यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियोजन पक्ष यह साबित करने में विफल रहा है कि अभियुक्त व्यक्तियों का उद्देश्य एक ही था तथा वे विधि विरूद्ध जमाव के सदस्य थे। इस प्रकार, किसी भी ठोस और पुख्ता सबूत के अभाव में जो अभियुक्तों के अपराध की ओर स्पष्ट रूप से इशारा करता हो, उन्हें मृतक शैलेश यादव की हत्या के कथित अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता। इसलिए, अपीलकर्ताओं को आपराधिक अपील क्रमांक 2078/2023 में दोष् मुक्त करने की प्रार्थना की।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

14 दूसरी ओर, राज्य के वकील ने संबंधित अपीलकर्ताओं के वकील द्वारा प्रस्तुत तर्कों का विरोध किया और प्रस्तुत किया कि अभियोजन पक्ष ने अपने मामले को संदेह से परे साबित कर दिया है। प्रत्यक्षदर्शियों के साक्ष्य विश्वसनीय हैं और एक दूसरे के साथ पुष्टि करते हैं, लेकिन मामूली चूक या विरोधाभास के अलावा, उनके साक्ष्य से ऐसा कुछ नहीं निकाला जा सकता है जिससे उन पर पूरी तरह से अविश्वास किया जा सके। प्रत्यक्षदर्शियों के मामले में, मकसद का कोई महत्व नहीं है। मकसद राज्य का मन है जो केवल मृतक या आरोपी व्यक्तियों के दिमाग में ही काम कर सकता है। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि भले ही गवाह एक दूसरे से संबंधित नहीं हैं और अलग-अलग स्थानों के निवासी हैं, लेकिन घटना के स्थान पर प्रासंगिक समय पर उनकी उपस्थिति पर केवल इस आधार पर संदेह नहीं किया जा सकता है कि वे एक ही इलाके के निवासी नहीं हैं। इसके अलावा, प्रत्यक्षदर्शियों के साक्ष्य, मृतक के शरीर पर पाई गई चोटों तथा मृतक के शव का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर के साक्ष्य के मद्देनजर, मृत्यु हत्या साबित होती है, जिस पर संदेह नहीं किया जा सकता है, भले ही डॉक्टर ने हत्या का कोई विशेष शब्द न कहा हो, लेकिन रिकॉर्ड पर उपलब्ध साक्ष्य से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि मृतक की मृत्यु हत्या की प्रकृति की थी, जिस पर विचारण न्यायालय ने उचित रूप से विचार किया है तथा इसे हत्या माना है।

15 राज्य के वकील ने यह भी तर्क दिया कि अभियुक्तों के मेमोरण्डम बयान के आधार पर अपराध के हथियार की बरामदगी गवाहों द्वारा विधिवत साबित कर दी गई है

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

और उनकी परीक्षा रिपोर्ट से यह भी साबित हो गया है कि मृतक के शरीर पर पाई गई चोटें उक्त हथियारों से लगी हो सकती हैं।

16 एफएसएल रिपोर्ट से भी अपीलकर्ताओं की अपराध में संलिप्तता साबित हुई है, जिसमें संबंधित अपीलकर्ताओं के कब्जे से जब्त किए गए हथियार मानव रक्त से सने पाए गए थे, जिसके लिए आरोपी व्यक्तियों ने अपने 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के बयान में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है। मामले के संपूर्ण तथ्यों और परिस्थितियों और रिकॉर्ड पर उपलब्ध साक्ष्यों पर विचार करते हुए, ट्रायल कोर्ट ने मृतक शैलेश यादव की हत्या के लिए अपीलकर्ताओं को दोषी ठहराया है और उन्हें सही सजा सुनाई है जो पूरी तरह से न्यायोचित है और इसमें अदालत के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

17 उभयपक्षों के वकीलों द्वारा प्रस्तुत तर्कों को सुना गया और अभिलेख का अवलोकन किया है।

18 वर्तमान मामले में न्यायालय के विचारार्थ पहला मुद्दा यह होगा कि मृतक शैलेश यादव की मृत्यु हत्या है या नहीं?

19 अभियोजन साक्षी क्रमांक-12 जयराज जो सेक्टर-9 अस्पताल के कैजुअल्टी वार्ड में एच.ए. नर्सिंग के पद पर पदस्थ थे, उसने अपने बयान में बताया है कि दिनांक 10.03.2020 को लगभग 3:07 बजे मृतक को अस्पताल लाया गया था, जिसके लिए उन्होंने उसी दिन 17:05 बजे भिलाई नगर थाने में सूचना दी थी, जिसे मर्ग सूचना प्र.

पी/43 में दर्ज किया गया है। उन्होंने पुलिस को अस्पताल का मेमो भी दिया है जो प्र. पी/44 है, जिसमें अस्पताल के कैजुअल्टी वार्ड के डॉ. चेतन अग्रवाल के हस्ताक्षर हैं।

20 विवेचना अधिकारी अभियोजन साक्षी क्रमांक-13 लल्लन सिंह ने अपने बयान में बताया है कि दिनांक 11.03.2020 को दोपहर करीब 12 बजे उन्हें जयराज अभियोजन साक्षी क्रमांक-12 से सूचना प्राप्त हुई, तत्पश्चात उन्होंने मृतक शैलेश यादव की मृत्यु के संबंध में मर्ग सूचना प्र. पी./45 के माध्यम से दर्ज की तथा घटना स्थल की ओर रवाना हुए। पंच गवाहों को नोटिस जारी करने के पश्चात उन्होंने गवाहों की उपस्थिति में जांच प्र. पी./4 तैयार की तथा शव को पोस्टमार्टम के लिए शासकीय अस्पताल सुपेला भेजा। अभियोजन साक्षी क्रमांक-9 डॉ. अभिषेक श्रीवास्तव, जिन्होंने मृतक के शव का पोस्टमार्टम अन्य दो डॉक्टरों डॉ. अविनाश नागदवे एवं डॉ. संजय वाल्वन्द्रे के साथ किया, ने अपने साक्ष्य में बताया है कि दिनांक 12.03.2020 को सुबह करीब 11:30 बजे मृतक शैलेश यादव का शव उनके समक्ष लाया गया। पोस्टमार्टम करते समय, उन्होंने शव पर निम्नलिखित बाहरी चोटें देखीं:

> नाक की हड्डी का फ्रैक्चर, माथे पर 6x2x1.5 सेमी का कटा हुआ घाव। हड्डी की गहराई तक। दाहिनी भौं के ऊपर 1x1x0.5 सेमी और भौं के नीचे 1X1x05 सेमी सतही चोट। दोनों आंखों का रंग काला पड़ना। चेहरे का रंग गुलाबी, होली का गुलाल रंग। बाईं ओर कान के पीछे 1x1x1 सेमी का घाव। बाएं गाल पर 3x2x0.5 सेमी का खरोंच। पूरे दाहिने कंधे के जोड़ पर भूरे रंग का काला घाव। दाहिनी कोहनी पर 4X3 सेमी का घाव। कोहनी के चारों ओर दाहिने हाथ पर 1x1x0.25 सेमी पर तीन घाव। दाहिने हाथ की सभी इंटरडिजिटल दरारें चोट मौजूद। बाएं शाफ्ट पर कई फ्रैक्चर। दाहिनी कलाई के जोड़ में फ्रैक्चर। बाएं शाफ्ट पर

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

> कई फ्रैक्चर पर 10x0.5x0.5 सेमी का घाव। दूसरा और तीसरा इंटरडिजिटल दरार। चोट मौजूद। कूल्हे के जोड़ पर 7x1x0.5 सेमी का घर्षण। बाएं कूल्हे के जोड़ पर 3x2x.05 सेमी का घर्षण। दाएं कांख पर 4x3x0.5 सेमी का घर्षण। दोनों घुटनों पर 1x1x0.25 सेमी का घर्षण।"

आंतरिक जांच में, उन्हें शव पर निम्नलिखित चोटें मिलीं:

> "मस्तिष्क में रक्त का जमाव। दाईं ओर की 8-9 पसलियों और बाईं ओर की 2,3,4 और 5 पसलियों में फ्रैक्चर। फेफड़े का बायां निचला लोब फटा हुआ। फेफड़े का दायां मध्य लोब फटा हुआ। वक्ष गुहा में खून पाया गया।"

21 पोस्टमार्टम करने के बाद, उन्होंने बताया कि मौत का कारण सदमे और रक्तस्राव के कारण हुआ है, जो कई महत्वपूर्ण अंगों के टूटने और कई फ्रैक्चर होने के कारण हुआ है। मौत के तरीके के संबंध में, डॉक्टरों ने परिस्थितियों और साक्ष्यों को सहसंबंधित करने की सलाह दी। डॉक्टर मौत के बाद से बीता समय नहीं बता पाए क्योंकि शव को फ्रीजर में रखा गया था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

22 पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श.पी/37 को अभियोजन साक्षी क्रमांक-9 डॉ. अभिषेक श्रीवास्तव ने प्रमाणित किया है, जिन्होंने संक्षिप्त पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श.पी/38 भी दी है। उन्होंने संबंधित आरोपियों से जब्त किए गए अपराध के हथियारों की भी जांच की और अपनी जांच रिपोर्ट प्रदर्श.पी/39 दी। इसके अलावा, जब प्रदर्श.पी/40-ए के तहत डॉक्टर से कार द्वारा मृतक को कुचलने और शरीर पर किसी भी तरह की चोटों के बारे में पूछताछ की गई, तो डॉक्टर ने अपनी 14 वीं रिपोर्ट प्रदर्श.पी/40 में कहा है कि, (i) मेरी राय में, शरीर पर कोई टायर के निशान नहीं पाए गए क्योंकि व्यक्ति ने ऐसे कपड़े पहने हुए थे जिन्हें

पहले ही संरक्षित किया जा चुका था और (ii) आंतरिक अंगों में कई चोटें भारी वाहन के कारण हो सकती हैं जो कार हो सकती है।

23 शव को जिस परिस्थिति में पाया गया, शव पर लगी चोटों, हमले में इस्तेमाल किए गए हथियारों, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पोस्टमार्टम करने वाले और हथियारों की जांच करने वाले डॉक्टरों की राय से संबंधित साक्ष्यों पर विचार करने के बाद, विचारण न्यायालय द्वारा निष्कर्ष दिया गया कि मृतक की मृत्यु हत्यात्मक प्रकृति की है। उक्त निष्कर्षों में कोई कमी या अवैधता नहीं है इसलिए, हम इस निष्कर्ष की पुष्टि करते हैं कि मृतक की मृत्यु हत्यात्मक प्रकृति की है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

24 मामले में दूसरा सवाल यह है कि क्या आरोपी व्यक्तियों ने लोहे की रॉड और लाठी से लैस होकर एक विधि विरूद्ध जमाव का गठन किया था, उनका समान उद्देश्य था और अपने समान उद्देश्य को अग्रसर के लिए उन्होंने मृतक शैलेश यादव पर हमला किया और दंगा-फसाद कर हत्या का अपराध किया।

25 अभियोजन पक्ष का मामला प्रत्यक्षदर्शियों अर्थात अभियोजन साक्षी क्रमांक-1 हरिश्चंद्र यादव, अभियोजन साक्षी क्रमांक-4 सुनील पांडे, अभियोजन साक्षी क्रमांक-5 रामहरि गोंड और अभियोजन साक्षी क्रमांक-6 मनीष यादव के साक्ष्य पर आधारित है।

26 प्रत्यक्षदर्शी साक्षी अभियोजन साक्षी क्रमांक -1 हरिश्चंद यादव ने अपने बयान में कहा है कि उसने पांच आरोपियों शंभू गुप्ता उर्फ मुनीर गुप्ता, रमेश जांगड़े, गोपीराव, सुनील गुप्ता और रामकुबेर गुप्ता को पहचाना है और तीन अन्य सह आरोपियों राज मिश्रा,

ऋषभ पासवान और सोमनाथ को नहीं पहचाना है। उसने बताया कि होली के त्यौहार के समय उसका ट्रक पेट्रोल पंप के पास आम्रपाली कॉलोनी में खड़ा था। वह अपने ड्राइवर को खाना देने गया था और जब वह वापस आ रहा था, तो उसने देखा कि आंध्रा स्कूल के पास आरोपी शंभू गुप्ता, रमेश जांगड़े, गोपीराव, सुनील गुप्ता और रामकुबेर गुप्ता मृतक के साथ मारपीट कर रहे थे। रामकुबेर गुप्ता के पास चपटा लोहे का रॉड था। रामकुबेर गुप्ता ने मृतक के सिर पर वार किया है। आरोपी गोपीराव ने मृतक के चेहरे पर उंगली से मुक्का मारा है। आरोपी सुनील गुप्ता, रमेश जांगड़े और मुनीर गुप्ता उर्फ शंभू गुप्ता मृतक पर लोहे की रॉड और लाठी से हमला कर रहे थे। जब उसने बीच-बचाव करने की कोशिश की तो शराब के नशे में धुत आरोपियों ने उसे धमकाया और फिर वहां से चला गया। वह घटना की जानकारी देने मृतक के घर गया था, लेकिन उसका घर बंद मिला और उसके बाद वह वापस अपने घर आ गया। करीब दो दिन बाद वह घटना की जानकारी लेने के लिए फिर मृतक के घर गया था। पुलिस ने उसका धारा 164 दण्ड प्रक्रिया संहिता का बयान दर्ज किया गया है और उसका कोर्ट बयान भी दर्ज किया गया है जो प्रदर्श पी/1 है। इस स्तर पर, इस गवाह को पक्षद्रोही घोषित कर दिया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

27 पक्षद्रोही घोषित होने के पश्चात साक्षी ने पुलिस को दिए अपने बयान से इन्कार कर दिया कि अभियुक्त राज मिश्रा के हाथ में रॉड थी तथा अन्य अभियुक्तों के पास लाठियां थी तथा वे मृतक पर हमला कर रहे थे। उसने पुलिस को दिए अपने बयान से भी इन्कार कर दिया कि जब मृतक जमीन पर गिर गया तो अभियुक्त राज मिश्रा तथा उसके तीन दोस्त कार में बैठ गए तथा अभियुक्त राज मिश्रा ने मृतक पर अपनी गाड़ी चढ़ाकर उसे कुचल

दिया तथा उसके बाद वे भाग गए। प्रतिपरीक्षण में उसने स्वीकार किया कि पुलिस ने उसके धारा 164 दण्ड प्रक्रिया संहिता बयान के बारे में उसे आश्वस्त कर दिया है कि उसे क्या कहना है। उसने स्वीकार किया कि धारा 164 दण्ड प्रक्रिया संहिता का बयान देते समय उसने अभियुक्त राज मिश्रा, ऋषभ पासवान तथा सोमनाथ के बारे में कुछ नहीं बताया है। जब उसका धारा 164 दण्ड प्रक्रिया संहिता के बयान के साथ सामना करवाया गया तो उसने उपरोक्त तीन अभियुक्तों राज मिश्रा, ऋषभ पासवान तथा सोमनाथ के संबंध में उक्त बयान देकर इन्कार कर दिया। उसने स्वीकार किया कि लगभग 25 दिन पश्चात उसका बयान दर्ज किया गया। वह स्वीकार करता है कि उसका धारा 164 दण्ड प्रक्रिया संहिता के बयान और पुलिस बयान, पुलिस वालों के निर्देश पर दर्ज किया गया था। वह यह भी बताता है कि घटना की तारीख को उसका ट्रक हाउसिंग बोर्ड के पास खड़ा था और अगर उसके पुलिस बयान प्रदर्श. पी/2 में लिखा है कि उसका ट्रक आम्रपाली कॉलोनी के पास खड़ा था, तो वह इसका कारण नहीं बता सकता। वह रोड नंबर 18 के अंडर ब्रिज से आम्रपाली कॉलोनी गया और उसी रास्ते से वापस लौटा। वह स्वीकार करता है कि आंध्रा स्कूल न तो रोड नंबर 18 के रास्ते में स्थित है और न ही रोड नंबर 18 से दिखाई देता है। वह स्वीकार करता है कि आंध्रा स्कूल की गली बहुत संकरी है जिसमें दूसरे लोगों के घर गली के दोनों तरफ स्थित हैं। वह स्वीकार करता है कि आंध्रा स्कूल के सामने खड़े लोग रोड नंबर 18 से दिखाई नहीं दे रहे थे।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

28 इस साक्षी ने आगे बताया कि अभियुक्तगणों द्वारा उसे दी गई धमकी का खुलासा उसने अपने पुलिस बयान में किया है, यदि नहीं लिखा गया है तो वह इसका

कारण नहीं बता सकता। उसने अपने पुलिस बयान में अपने बयान के पैरा 3 में दिए गए बयान से इनकार किया है। उसने स्वीकार किया है कि अगले दिन जब वह मृतक के घर गया, उसके पिता से मिला और घटना के बारे में पूछा तो उसके पिता ने उसे बताया कि उसकी मृत्यु हो गई है और उसके बाद उसने बताया कि वह मौके पर मौजूद था और वह पुलिस को सारी बातें बताएगा। उसने स्वीकार किया कि करीब एक महीने से उसने किसी भी थाने में कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई है और पुलिस ने भी उसका बयान दर्ज नहीं किया है। उसने स्वीकार किया कि उसने स्वयं किसी भी पुलिस अधिकारी के समक्ष यह नहीं बताया है कि उसने घटना देखी है। जिस समय वह आंध्रा स्कूल के पास पहुंचा तो आसपास के लोग होली का त्यौहार मना रहे थे और उनके चेहरे रंगे हुए थे। उन्होंने बताया कि वृंदा नगर के आस-पास के लोगों के बारे में उन्हें कुछ पता नहीं है और चेहरे पर रंग होने के कारण लोगों की पहचान करना भी बहुत मुश्किल था। उन्होंने इस बात से इनकार किया कि मृतक को किसी व्यक्ति ने वाहन से कुचला है। उन्होंने पुलिस को कोई सूचना नहीं दी है और न ही किसी मेडिकल सहायता के लिए फोन किया है। पुलिस ने उनसे आरोपियों की पहचान नहीं ली है। आरोपियों के नाम और घटना की खबर दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

29 इस प्रत्यक्षदर्शी के साक्ष्य से ऐसा प्रतीत होता है कि वह मृतक के परिवार को भली-भाँति जानता था। जब उसने देखा कि मृतक पर अभियुक्तगण द्वारा हमला किया जा रहा है, तो उसने न तो पुलिस को सूचित किया और न ही किसी चिकित्सकीय सहायता के लिए फोन किया। वह अपने घर चला गया तथा दूसरे दिन जब वह मृतक के घर गया, तो

उसने स्वयं मृतक के पिता से घटना के बारे में जानकारी ली। मृतक को जानने तथा घटना के अगले दिन उसके घर जाने के बावजूद उसने कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई तथा पुलिस में यह बयान दर्ज नहीं कराया कि उसने घटना देखी है तथा वह मामले का प्रत्यक्षदर्शी है। वह दूसरे क्षेत्र का निवासी है; दुर्घटना दूसरे क्षेत्र में हुई; अभियुक्तगण अलग-अलग क्षेत्र के निवासी हैं तथा दिनांक 18-19-2019 को अभियुक्तगण तथा अन्य लोग होली के त्यौहार के कारण अपने चेहरे रंगे हुए थे, अतः इस साक्षी द्वारा अभियुक्तगणों को उनके नाम से पहचानना अत्यधिक संदिग्ध है। इसके अलावा, अपने धारा 164 दण्ड प्रक्रिया संहिता के बयान में उसने राज मिश्रा, ऋषभ पासवान और सोमनाथ का नाम लिया है, लेकिन न्यायालय के समक्ष दिए गए अपने बयान में उसने इन तीनों आरोपियों की पहचान करने से पूरी तरह इनकार किया है और अन्य पांच आरोपियों शंभू गुप्ता, रमेश जांगड़े, गोपीराव, सुनील गुप्ता और रामकुबेर गुप्ता का नाम लिया है, जिससे इस गवाह का साक्ष्य संदिग्ध हो जाता है। इसलिए, अभियोजन साक्षी क्रमांक-1 हरिश्चंद यादव के साक्ष्य और उनके धारा 161 और धारा 164 दण्ड प्रक्रिया संहिता बयान में महत्वपूर्ण चूक और विरोधाभास है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

30 एक अन्य प्रत्यक्षदर्शी अभियोजन साक्षी क्रमांक-5 रामहरि गोंड ने अपने बयान में कहा है कि वह आरोपी राज मिश्रा, ऋषभ पासवान और सोमनाथ को नहीं पहचान पाया है, लेकिन वह अन्य सह-आरोपियों शंभू गुप्ता, रमेश जांगड़े, गोपीराव, सुनील गुप्ता और रामकुबेर गुप्ता को पहचान सकता है। मृतक शैलेश यादव उसका मित्र था। घटना दिनांक को मृतक शैलेश यादव ने उसे होली का त्यौहार मनाने के लिए बुलाया था और जब वह वृंदा नगर, रोड नंबर 18, आंध्रा स्कूल के पास गया, तो उसने देखा कि रामकुबेर गुप्ता ने अपनी

पत्नी से हथियार मांगा और फिर उसकी पत्नी ने उसे एक चपटा लोहे का रॉड दिया, जिससे रामकुबेर गुप्ता ने मृतक के सिर के पिछले हिस्से पर वार किया। इसके बाद गोपीराव ने लोहे के घूंसे से वार किया, जो मृतक के माथे पर लगा। मुनीर गुप्ता और सुनील गुप्ता मृतक पर लोहे की रॉड से हमला कर रहे थे। रमेश जांगड़े ने बांस के मोटे डंडे से हमला किया था। आरोपियों द्वारा किए गए हमले के कारण मृतक की मौके पर ही मौत हो गई। उन्होंने मृतक को वहां खड़े एक अन्य व्यक्ति की मदद से अस्पताल पहुंचाया, जिसने उसकी पहचान दुबे के रूप में की और उसके बाद दुबे की मोटरसाइकिल से मृतक को स्पर्श अस्पताल पहुंचाया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। उन्होंने शव को अस्पताल में छोड़ दिया और घटना की जानकारी मृतक के परिजनों को देने के लिए उसके घर गए, लेकिन उनके घर पर ताला लगा हुआ था। वे वापस स्पर्श अस्पताल पहुंचे और तब तक उनके पिता वहां पहुंच चुके थे। मृतक को सेक्टर-9 अस्पताल ले जाया जा रहा था और उन्होंने मृतक के पिता को बताया कि पांच आरोपियों मुनीर गुप्ता, रमेश जांगड़े, गोपीराव, सुनील गुप्ता और रामकुबेर गुप्ता ने मृतक के साथ मारपीट की है। शव को लाल बहादुर शासकीय अस्पताल सुपेला की मोर्चरी में रखवाया गया है। घटना के करीब एक माह बाद पुलिस ने उनका बयान दर्ज किया है। उन्होंने अपने बयान में भी वही बात कही जो पहले उनके पुलिस बयान में कही गई थी। उन्होंने आगे कहा कि मजिस्ट्रेट के सामने अपना बयान दर्ज करते समय उन्होंने हमलावरों के रूप में केवल पांच आरोपियों अर्थात मुनीर गुप्ता, रमेश जांगड़े, गोपीराव, सुनील गुप्ता और रामकुबेर गुप्ता का नाम लिया। उन्होंने अन्य आरोपियों के नाम नहीं बताए हैं। उसका धारा 164 दण्ड प्रक्रिया संहिता का बयान प्रदर्श.

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

पी/34 है। इस स्तर पर, उसे भी पक्षद्रोही घोषित किया और पक्षद्रोही घोषित करने के बाद उसने पुलिस बयान के कुछ हिस्से को देने से इनकार कर दिया कि राज मिश्रा ने मृतक पर लोहे की रॉड से हमला किया था और मृतक को अपनी कार से कुचल दिया और भाग गया। उसने अपने पुलिस बयान में हमलावरों के रूप में राज मिश्रा, ऋषभ पासवान और सोमनाथ के नाम बताने से भी इनकार किया। उसने दोहराया कि उसने मजिस्ट्रेट के सामने अपना बयान दर्ज करते समय केवल पांच आरोपियों का नाम लिया है।

प्रतिपरीक्षण में उसने बताया कि मृतक उसका बचपन का मित्र था। उसने पुलिस बयान प्रदर्श.पी/35 देने से इंकार किया। वह यह नहीं बता सका कि हनुमान मंदिर आंध्रा स्कूल और रोड नं. 18 के पूर्व दिशा में स्थित है या नहीं। उसने माना कि आंध्रा स्कूल और रोड नं. 18 के बीच की दूरी लगभग 400-500 मीटर है। आंध्रा स्कूल से हनुमान मंदिर तक गली के दोनों ओर विभिन्न व्यक्तियों के घर स्थित हैं। उसने आगे बताया कि उसने अपने पुलिस बयान प्रदर्श.पी/35 में खुलासा किया कि अभियुक्त रामकुबेर गुप्ता की पत्नी ने उसे (रामकुबेर गुप्ता को) एक चपटी लोहे की रॉड दी है जिससे रामकुमार गुप्ता ने उसके सिर के पिछले हिस्से पर हमला किया है और अगर यह उसके पुलिस बयान में नहीं है तो वह कारण नहीं बता सकता। इसी तरह गोपीराव द्वारा लोहे के पंच से किए गए हमले का भी उसके पुलिस बयान में उल्लेख है। अगर यह नहीं है तो वह कारण नहीं बता सकता। उसने यह भी कहा है कि मृतक की मृत्यु अभियुक्तगणों द्वारा की गई मारपीट के कारण हुई है, जिसका खुलासा उसने न्यायालय के समक्ष पहली बार किया है। उसने स्वीकार किया है कि दिनांक 10.03.2020 को होली का त्यौहार था तथा आस-पास के

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सभी लोग रंग व गुलाल से सराबोर थे। मृतक को दुबे की मोटरसाइकिल से लेकर जाने, मृतक को मृत घोषित कर दिये जाने तथा मृतक के घर जाकर उसके परिजनों को सूचना देने जाने पर उसका घर बंद मिला तथा पुनः स्पर्श अस्पताल वापस आ गए इन सभी तथ्यों का खुलासा उसने पुलिस कथन प्र. पी/35 में किया है। उसने मृतक के पिता को हमलावरों के नाम के बारे में भी बताया था यदि नाम उल्लेखित नहीं है तो इसका कारण वह नहीं बता सकता है । उसने स्वीकार किया है कि उसने स्वयं घटना की सूचना पुलिस को नहीं दी है तथा घटना के समय एम्बुलेंस को बुलाने का प्रयास नहीं किया है। स्पर्श अस्पताल पहुंचने के पश्चात भी उसने पुलिस को घटना की सूचना नहीं दी है। उसे नहीं मालूम कि मृतक के पिता को घटना की सूचना किसने दी। स्पर्श अस्पताल से लेकर मृतक शैलेश यादव के घर तक उसने किसी भी पुलिस वाले को घटना की सूचना नहीं दी है। उसने माना कि जिस समय मृतक को वे अस्पताल ले जा रहे थे, मृतक नशे की हालत में था। उसने स्वीकार किया कि वे मृतक के पिता के साथ सेक्टर-9 अस्पताल गए थे और सेक्टर-9 अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड के ठीक बगल में पुलिस रूम था, लेकिन उन्होंने किसी भी पुलिस वाले को घटना की सूचना नहीं दी है। न तो किसी पुलिस वाले ने उन्हें बयान के लिए बुलाया और न ही उन्होंने पुलिस वाले से कोई संपर्क किया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

31 इस साक्षी के साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि मृतक उसका बचपन का मित्र था, उसने मृतक पर पांच अभियुक्तों द्वारा हमला होते देखा था, वह मृतक को अस्पताल ले गया था तथा मृतक के पिता को घटना की जानकारी दी थी, परन्तु न तो उसने पुलिस को सूचना दी और न ही पुलिस ने उसका बयान दर्ज किया गया तथा लगभग एक माह पश्चात

उसका बयान दर्ज किया गया। अपने धारा 164 दण्ड प्रक्रिया संहिता के बयान में उसने तीन अभियुक्तों राज मिश्रा, ऋषभ पासवान तथा सोमनाथ की संलिप्तता से इनकार किया। अवसर होने के बावजूद न तो उसने पुलिस को सूचना दी और न ही अपने बचपन के मित्र की हत्या करने वाले हमलावरों का नाम बताया। इससे अ.सा.-5 रामहरि गोंड का साक्ष्य भी संदिग्ध हो जाता है। साथ ही, लगभग एक माह पश्चात इस साक्षी का बयान धारा 161 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत दर्ज किया जाना भी इस साक्षी के साक्ष्य की सत्यता पर संदेह उत्पन्न करता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

32 अन्य प्रत्यक्षदर्शी अभियोजन साक्षी क्रमांक-6 मनीष यादव ने अपने बयान में बताया है कि दिनांक 10.03.2020 को जब वह कैम्प-1 में अपने आस-पास होली का त्यौहार मना रहा था, तब शैलेश यादव आया और उसे होली मनाने के लिए आंध्रा स्कूल के पास आने को कहा। लगभग 10-15 मिनट बाद जब वह आंध्रा स्कूल के पास पहुंचा तो उसने देखा कि पांच व्यक्ति शैलेश पर हमला कर रहे थे। रामकुबेर गुप्ता तलवार से, गोपीराव अंगुली के पंच जैसे हथियार से, मुनीर गुप्ता रॉड से, रमेश जांगड़े क्लब से और सुनील गुप्ता रॉड से हमला कर रहे थे। जब उसने बीच-बचाव करने की कोशिश की तो मुनीर, रामकुबेर और 2-3 अन्य व्यक्तियों ने उसका पीछा किया और फिर वह भाग गया, लेकिन जिस स्थान पर वह छिपा हुआ है, वहां से उसने घटना देखी है। मृतक शैलेश यादव पर हमला करने के बाद दो व्यक्ति बाइक से आए और शैलेश को अपने साथ ले गए, लेकिन वह उन लोगों को नहीं जानता जो मृतक को ले गए हैं। वह मृतक के घर उसके परिजनों को घटना की जानकारी देने गया था, लेकिन उसका घर बंद था, जिसके बाद वह रायपुर चला गया।

पुलिस ने उसका बयान दर्ज किया है, जिसमें उसने केवल पांच आरोपियों के नाम लिए हैं। इस स्तर पर, इस गवाह को भी पक्षद्रोही घोषित कर दिया गया और उसके बाद उसने कहा है कि उसने अपने पुलिस बयान प्र. पी/36 में खुलासा किया है कि मृतक ने उसे बताया था कि राज मिश्रा ने उसे अपने घर बुलाया है और उसके बाद वह उसके साथ राज मिश्रा के घर गया था और वहां से राज मिश्रा उन्हें अपनी कार से आंध्रा स्कूल ले गया और जब वे आंध्रा स्कूल के पास पहुंचे तो राज मिश्रा ने अपने दोस्तों को बुलाया और फिर ऋषभ पासवान, सुनील गुप्ता, रमेश जांगड़े, गोपीराव, सोमनाथ, सुनील गुप्ता और रामकुबेर गुप्ता लाठी और डंडा से लैस होकर वहां आए, राज मिश्रा ने अपनी कार से लोहे की रॉड निकाली और सभी आरोपियों ने मृतक शैलेश के साथ मारपीट शुरू कर दी। उन्होंने पुलिस बयान देने से भी इनकार किया कि उनके पुलिस बयान दर्ज करने के समय उन्होंने कहा था कि कार में राज मिश्रा, ऋषभ पासवान, रमेश और मुनीर भी मौजूद थे और उसके बाद उन्होंने मृतक को कुचल दिया और उसके ऊपर अपना वाहन चढ़ाकर भाग गए। उन्होंने अपने पुलिस बयान प्र. पी/36 के ए से ए भाग से इनकार किया और इस बारे में अपनी अज्ञानता दिखाई कि उनके पुलिस बयान में यह कैसे लिखा गया है। प्रतिपरीक्षण में उन्होंने स्वीकार किया है कि उन्होंने इन तीन आरोपियों राज मिश्रा, ऋषभ पासवान और सोमनाथ को घटनास्थल पर नहीं देखा है। उसने अपने पुलिस बयान के विभिन्न हिस्सों से भी इनकार किया और कहा कि उसने पुलिस को ऐसे बयान नहीं दिए हैं और पुलिस ने उनके बयान में यह कैसे लिखा है, वह इसका कारण नहीं बता सकते। उसने उन व्यक्तियों की पहचान नहीं की है जो मृतक को मोटरसाइकिल में ले गए थे। सुबह 11-12 बजे के बीच

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

वह मृतक के घर उसके परिजनों को घटना की जानकारी देने गया था, घर पर ताला लगा हुआ था, तब वह रायपुर चला गया था और घटना की जानकारी किसी को नहीं दी है। उसे नहीं मालूम कि पुलिस को उसका नाम गवाह के रूप में कैसे पता चला। उसने मृतक की मौत कार से कुचलने से होने की बात से इनकार किया है। उसने बताया है कि उसने नहीं देखा कि आरोपियों ने मृतक पर वाहन चढ़ाया है। उसने यह भी बताया है कि आरोपियों द्वारा अपने साथ रखे गए हथियार का खुलासा उसने पुलिस बयान में किया है, वह नहीं बता सकता कि वह वहां है या नहीं। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि इस गवाह का धारा 161 दण्ड प्रक्रिया संहिता का बयान 09.04.2020 को यानी घटना की तारीख से लगभग एक महीने बाद दर्ज किया गया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

33 अभियोजन साक्षी क्रमांक-2, संजय यादव, जो मृतक शैलेश यादव का बड़ा भाई है, ने अपने बयान में कहा है कि 10.03.2020 को सुबह राज मिश्रा का फोन आने के बाद उसका भाई शैलेश राज मिश्रा के घर गया था। काफी समय बाद जब वह वापस नहीं लौटा और मोबाइल कॉल का जवाब भी नहीं दे रहा था, तो उसने अपनी खोज शुरू की। जब वह वृंदा नगर, आंध्रा स्कूल के पास पहुंचा तो उसने देखा कि वहां एक भीड़ थी और रामकुबेर गुप्ता एक चपटी लोहे की रॉड लेकर खड़ा था, मुनीर गुप्ता, सुनील गुप्ता, पी. गोपीराव, रामश जांगड़े और राज मिश्रा सभी के हाथों में डंडे थे। रामकुबेर गुप्ता धमकी दे रहा था कि अगर कोई उसके खिलाफ सबूत देगा तो वह भी शैलेश यादव की तरह उसके साथ मारपीट करेगा। उस समय किसी ने उसे बताया कि उसके भाई को स्पर्श अस्पताल ले जाया जा रहा है। जब वह अस्पताल पहुंचा तो उसने देखा कि उसका भाई कोई

प्रतिक्रिया नहीं कर रहा है। उसने उसे स्पर्श अस्पताल से सेक्टर-9 अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। चूंकि उस समय उसके पास मोबाइल फोन नहीं था, इसलिए वह घटना के बारे में किसी को नहीं बता सका। कुछ समय बाद वे वैशाली नगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने गए थे, जहां उसका बयान दर्ज किया गया, लेकिन उस समय रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई और वे शव को मोर्चरी में रखकर अस्पताल से लौट आए। अगली सुबह उसके पिता आसपास के अन्य लोगों के साथ रिपोर्ट दर्ज कराने गए। वह जांच कार्यवाही में मौजूद था। प्रतिपरीक्षण में उसने बताया कि 10.03.2020 को पुलिस ने प्रथम सूचना पत्र दर्ज नहीं की है। उसने इस बात से इनकार किया कि पुलिस ने 10.03.2020 को उसका बयान दर्ज नहीं किया है। जब पुलिस ने प्रथम सूचना पत्र दर्ज नहीं की, तो उसके पिता आसपास के अन्य लोगों के साथ पुलिस अधीक्षक के पास पहुंचे। वह यह नहीं बता सका कि पुलिस ने कितने दिन बाद उसका बयान दज किया है। उसने मुख्य परीक्षा में जो भी बयान दिए हैं, वही उनके पुलिस बयान प्र. डी/2 में भी हैं और यदि उनके पुलिस बयान में नहीं हैं, तो वह इसका कारण नहीं बता सकता है। उसने स्वीकार किया कि पुलिस ने उसका बयान उसके बताए अनुसार दर्ज नहीं किया है, बल्कि बहुत संक्षिप्त रूप से दर्ज किया है, जिसे उसे पढ़कर भी नहीं सुनाया गया। उसने स्वीकार किया कि उसके बयान ठीक से दर्ज न किए जाने की शिकायत उसने किसी उच्च पुलिस अधिकारी से नहीं की है। उन्होंने पुलिस से नए सिरे से बयान दर्ज करने का कोई अनुरोध भी नहीं किया है। उसका पुलिस बयान 13.03.2020 को दर्ज किया गया था। उसे घटना की जानकारी 10.03.2020 को ही हुई थी। उसने यह भी स्वीकार किया कि उसने स्वयं

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

घटना की तिथि को कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई है और उसके बयान भी उसी तिथि को दर्ज नहीं किए गए। उसने स्वीकार किया कि 10.03.2020 को जब पुलिस वालों ने प्रथम सूचना पत्र दर्ज नहीं की है, तब उसने किसी भी उच्च अधिकारी से कोई शिकायत नहीं की है। अपने बयान के पैरा 29 में उसने स्वीकार किया है कि उसने घटना नहीं देखी है और अपने पुलिस बयान प्रदर्श डी/2 में उसने यह नहीं कहा है कि उसने चेहरे से पहचान की है और आरोपियों राज मिश्रा, ऋषभ पासवान और सोमनाथ का नाम लिया है। 12.03.2020 को उसने पुलिस के सामने यह नहीं बताया कि उनके भाई की हत्या किसने की है। उसके भाई का आरोपी सोमनाथ, ऋषभ पासवान या राज मिश्रा से कोई विवाद या दुश्मनी नहीं थी। हालांकि राज मिश्रा और उनके भाई के बीच पैसे का लेन-देन था, लेकिन किसी भी पैसे के लेन-देन को लेकर उनके बीच कोई विवाद नहीं था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

34 इस साक्षी के साक्ष्य से भी यह स्पष्ट है कि वह घटना का प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है। वह घटना के बाद मौके पर पहुंचा और जब उसका भाई पहले से ही अस्पताल ले जाया जा रहा था। अपने बयान में उसने कहा है कि उसने देखा कि आरोपी खड़े थे। आरोपी राज मिश्रा भी हथियार से लैस होकर वहां खड़ा था। उसका पुलिस बयान 12.03.2020 को अर्थात घटना के लगभग दो दिन बाद दर्ज किया गया। अन्य प्रत्यक्षदर्शियों के साक्ष्य से ऐसा प्रतीत होता है कि मृतक पर हमले के तुरंत बाद राज मिश्रा अपनी कार से मौके से भाग गया, लेकिन इस साक्षी ने कहा है कि उसने आरोपी राज मिश्रा को हाथ में डंडा लिए हुए वहां खड़ा देखा था। इसके अलावा घटना की तारीख पर उसके द्वारा कोई रिपोर्ट नहीं दी गई है और उसने कथित घटना के खिलाफ पुलिस द्वारा प्रथम

सूचना पत्र दर्ज न करने के संबंध में उच्च अधिकारियों को कोई शिकायत नहीं की है। उसने पुलिस को दिए अपने पुलिस बयान के भौतिक भाग को भी नकार दिया। अपने पुलिस बयान का समर्थन न करके, वह खुद ही अपने साक्ष्य को संदिग्ध बना रहा है कि उसने वास्तव में घटना देखी है।

35 मृतक की माता अभियोजन साक्षी क्रमांक-8 श्रीमती उषा यादव इस बात की साक्षी हैं कि घटना दिनांक को उनके पुत्र को अपीलकर्ता राज मिश्रा ने अपने मोबाइल फोन से कॉल किया था तथा उसके पश्चात उनका पुत्र होली खेलने जाने की बात कहकर घर से निकला था तथा उसके पश्चात लगभग 3 बजे सेक्टर-9 अस्पताल के डॉक्टर ने उन्हें बताया कि उनके पुत्र की हत्या हो गई है। वस्तुतः वह ही इस बात की साक्षी हैं कि हत्या का उद्देश्य क्या था, जिसके संबंध में उसके साक्ष्य पर बाद में चर्चा की जाएगी। अपीलकर्ता राज मिश्रा द्वारा कॉल करने के संबंध में उन्होंने कहा है कि वे अपने पुत्र तथा अपीलकर्ता राज मिश्रा का मोबाइल नंबर नहीं जान सकी। उन्होंने लगभग एक वर्ष तक पुलिस को अपना बयान नहीं दिया, क्योंकि वे उस समय तक अपना बयान देने की स्थिति में नहीं थीं।

36 मृतक के पिता अभियोजन साक्षी क्रमांक-14 राधे प्रसाद यादव ने बताया कि घटना दिनांक को जब वे अपनी पत्नी एवं पुत्र शैलेश (अब मृत) के साथ घर में थे, तब उनके पुत्र शैलेश के मोबाइल पर राज मिश्रा का इनकमिंग कॉल आया। उन्होंने भिलाई में होने के बारे में पूछा तथा होली खेलने के लिए बुलाया। इसके पश्चात शैलेश यह कहकर घर से निकल गया कि उसे राज मिश्रा ने बुलाया है, होली खेलने जा रहा हूं। जब काफी देर तक वापस नहीं आया, तो उसकी पत्नी ने उसे तीन बार मोबाइल पर कॉल किया, लेकिन

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उसने कोई जवाब नहीं दिया, जिसके कारण उसके बड़े भाई पुत्र संजय को खोजबीन करने के लिए कहा गया। जब संजय यादव आंध्रा स्कूल के पास वृंदा नगर गए थे, तो उन्होंने भीड़ को देखा तथा किसी ने उन्हें सूचना दी कि उनके भाई शैलेश की हत्या कर दी गई है तथा उन्हें अस्पताल ले जाया गया है। संजय जब मौके पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि अपीलकर्ता रामकुबेर गुप्ता के हाथ में हथियार है और वह धमकी दे रहा है कि जो भी उसके खिलाफ गवाही देगा, उसके साथ भी शैलेश जैसा ही व्यवहार किया जाएगा। मौके से मिली सूचना पर उनका बेटा स्पर्श अस्पताल गया था। उसे भी स्पर्श अस्पताल से फोन आया और उसे जल्द से जल्द अस्पताल आने को कहा गया और बताया गया कि उसके बेटे की हत्या कर दी गई है। जब वह स्पर्श अस्पताल गया तो उसने देखा कि उसके बेटे का शव पड़ा है और उसके शरीर पर कई जगह चोट के निशान हैं और इसके बाद वह अपने बेटे (शैलेश) को सेक्टर-9 अस्पताल भिलाई ले गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। उसी समय पुलिस भी अस्पताल पहुंच गई। उन्होंने शव को शवगृह में रखवा दिया और वैशाली नगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। जब पुलिस ने किसी भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया तो वह आसपास के लोगों और समुदाय के लोगों के साथ दोबारा थाने गया और पुलिस से आरोपियों को गिरफ्तार करने का अनुरोध किया। इस बीच, अपीलकर्ता राज मिश्रा को पुलिस स्टेशन ले जाया जा रहा था और उसने (राज मिश्रा ने) उसके बेटे पर हमला करने वालों के नाम बताए। अपीलकर्ता राज मिश्रा ने 8 आरोपियों के नाम बताए हैं, अर्थात रामकुबेर गुप्ता, मुनीर गुप्ता, सुनील गुप्ता, गोपीराव, रमेश जांगड़े, सोमनाथ और ऋषभ पासवान का। रामकुबेर गुप्ता की पत्नी ने रामकुबेर गुप्ता को तलवार जैसा हथियार दिया था,

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

इसका तथ्य का खुलासा गवाह रामहरि गोंड ने किया है। जिस समय अपीलकर्ता राज मिश्रा ने पुलिस को घटना का खुलासा किया, उस समय तक अपराध दर्ज नहीं हुआ था और वह अपने बेटे के शव को अपने घर ले गया था। जब अपराध दर्ज नहीं हुआ, तो वह उच्च पुलिस अधिकारियों के सामने पहुंचा, जहां उन्होंने उसे अपना बयान देने के लिए कहा और उसके बाद ही पुलिस कार्यवाही शुरू हो सकी और उसने अपना बयान दिया। लगभग एक वर्ष के पश्चात रामकुबेर गुप्ता और रमेश जांगड़े की पत्नी उसके घर आई और उससे कहा कि वह उनके पति के विरुद्ध साक्ष्य न दे, जिसकी रिपोर्ट उसने पुलिस में दर्ज कराई थी और उसकी शिकायत प्रदर्श. पी/52 है। उसे अपने बेटे पर हमला करने वालों के बारे में गवाहों से पता चला।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

प्रतिपरीक्षण में उसने स्वीकार किया है कि वह प्रत्यक्षदर्शी नहीं है। उसे नहीं पता था कि उसके बेटे शैलेश की अपीलकर्ता राज मिश्रा, ऋषभ पासवान और सोमनाथ से कोई दुश्मनी थी या नहीं। उसने पुलिस को दिए गए बयान प्रदर्श. डी/3 के कुछ हिस्से से इनकार किया, जिसमें उसने बताया था कि राज मिश्रा द्वारा उसके बेटे को फोन किया गया था, जिसे उसने और उसकी पत्नी ने सुना था और उसका बेटा आरोपी राज मिश्रा से प्राप्त फोन पर होली खेलने के लिए घर से वृंदा नगर चला गया था। उन्होंने इस बात से भी इंकार किया कि जब वे आसपास के लोगों और समुदाय के लोगों के साथ रिपोर्ट दर्ज कराने और हमलावरों को गिरफ्तार करने के लिए थाने गए थे, तो अपीलकर्ता राज मिश्रा को थाने ले जाया जा रहा था और उसने हमलावरों के नाम बताए। उन्होंने स्वीकार किया कि 10.03.2020 को न तो उनका बयान पुलिस द्वारा दर्ज किया गया और न ही

उन्होंने पुलिस को कोई लिखित शिकायत दी है। उन्होंने स्वेच्छा से कहा कि उन्होंने 11.03.2020 को पुलिस को लिखित शिकायत दी है। उन्होंने आगे कहा कि 12.03.2020 को उन्होंने अपने बेटे शैलेश यादव की हत्या के लिए अपराध दर्ज करने के लिए पुलिस स्टेशन वैशाली नगर में एक लिखित शिकायत दी है। उन्होंने स्वीकार किया कि उन्होंने 13.03.2020 को पुलिस को अपना धारा 161 दण्ड प्रक्रिया संहिता का बयान दिया है। उन्होंने अपने बयान में यह भी स्वीकार किया है। प्रदर्श डी/3 में इस बात का कोई उल्लेख नहीं है कि राज मिश्रा को पुलिस स्टेशन बुलाया गया था और उसने हमलावरों के नाम बताए थे। उसने स्वीकार किया कि उसकी लिखित शिकायत प्र. पी/65 में यह उल्लेख नहीं है कि पुलिस को बयान देते समय राज मिश्रा के साथ कौन मौजूद था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

37 अभियोजन साक्षी क्रमांक-13 लल्लन सिंह ने अपने बयान में कहा है कि दिनांक 11.03.2020 को दोपहर करीब 12 बजे उसने अभियोजन साक्षी क्रमांक-12 जयराम द्वारा दी गई सूचना के आधार पर मर्ग सूचना प्रदर्श.पी/45 दर्ज की थी। उसने मौके पर जाकर गवाहों को जांच के लिए नोटिस दिया। उसके द्वारा गवाहों की उपस्थिति में शव की जांच प्रतिवेदन तैयार किया गया जो प्रदर्श.पी/4 है। दिनांक 12.03.2020 को करीब 22:35 बजे आरोपी राज मिश्रा, ऋषभ पासवान, मुनीर गुप्ता, रमेश जांगड़े, गोपीराव, सोमनाथ, सुनील गुप्ता और कुबेर गुप्ता के खिलाफ प्रथम सूचना पत्र प्रदर्श.पी/48 दर्ज की गई। दिनांक 11.03.2020 को वे घटनास्थल पर गए और स्पॉट मैप प्रदर्श.पी/5 तैयार किया, प्रदर्श.पी/49 के अनुसार मौके से खून से सना और सादा मिट्टी जब्त की गई। दिनांक 12.03.2020 को उन्होंने मृतक के कपड़े को शासकीय अस्पताल सुपेला से

प्राप्त सीलबंद पैकेट में जब्ती ज्ञापन प्र. पी/15 के माध्यम से जब्त किया। प्रतिपरीक्षण में उन्होंने स्वीकार किया कि जांच के लिए आगे बढ़ने से पहले उन्होंने गवाह संजय यादव यानी मृतक के भाई सत्येंद्र यादव, ठाकुर प्रसाद यादव और शंभू यादव को नोटिस जारी किया था जो जांच के समय मौजूद थे, लेकिन उनमें से किसी ने भी हमलावरों का नाम नहीं बताया। उन्होंने स्वीकार किया कि मृतक राधे प्रसाद यादव के पिता द्वारा दी गई लिखित शिकायत के आधार पर उन्होंने प्रथम सूचना पत्र प्र. पी/48 दर्ज की, लेकिन लिखित शिकायत को अंतिम रिपोर्ट के साथ संलग्न नहीं किया गया, जिसका कारण वे नहीं बता सके। उन्होंने स्वतः कहा कि राधे प्रसाद यादव द्वारा की गई लिखित शिकायत केस डायरी में उपलब्ध है। उन्होंने स्वीकार किया कि इसे अंतिम रिपोर्ट का हिस्सा बनाया जाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने इसे अंतिम रिपोर्ट के साथ संलग्न नहीं किया है। उन्होंने इस मामले में कोई कॉल विवरण या सीडीआर एकत्रित नहीं करने की बात स्वीकार की।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

38 अभियोजन साक्षी क्रमांक-15, दिलीप सिंह सिसोदिया, डीएसपी, जो घटना दिनांक को पुलिस स्टेशन वैशाली नगर में टाउन इंस्पेक्टर के पद पर तैनात थे, ने अपने साक्ष्य में कहा है कि उन्हें मामले की केस डायरी आगे की जांच के लिए दिनांक 13.03.2020 को प्राप्त हुई। दिनांक 13.03.2020 को उन्होंने गवाहों की मौजूदगी में आरोपी राज मिश्रा के बयान दर्ज किए। दिनांक 13.03.2020 को ही आरोपी राज मिश्रा से रजिस्ट्रेशन नं. CG-07-MB-0279 वाली एक वर्ना कार जब्त की गई थी, जिसका नाम जब्ती पत्र प्रदर्श. पी/14 था। जब्ती के समय उक्त कार का विंडशील्ड टूटा हुआ था। दिनांक 13.03.2020 को ही आरोपी राज मिश्रा से खून के धब्बे वाली एक चपटी लोहे

की रॉड जब्त की गई थी, जिसका जप्ती पत्र प्रदर्श. पी/15 था। आरोपी सोमनाथ उर्फ अक्षय से बांस की छड़ जब्त की गई थी, जिसका नाम जब्ती ज्ञापन प्रदर्श. पी/22 था, आरोपी सुनील कुमार गुप्ता से बांस का डण्डा जब्त किया गया, जिसका जप्ती पत्र प्रदर्श. पी/21 था, आरोपी ऋषभ पासवान से बांस का डण्डा जब्त किया गया, जिसका जप्तीपत्र प्रदर्श. पी/20 था, आरोपी रमेश जांगड़े से बांस का डण्डा जब्त किया गया, जिसका जप्तीपत्र प्रदर्श. पी/19 था, आरोपी रामकुबेर गुप्ता से बांस का डण्डा जब्त किया गया, जिसका जप्ती पत्र प्रदर्श. पी/18 था और पी/17. के अनुसार आरोपी गोपी राव से एक और बांस का डण्डा जब्त किया गया। जब्त सामान को एफएसएल जांच के लिए भेजा गया। उसने सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया और गवाहों हरिश्चन यादव, रामहरि, मनीष यादव, उषा यादव, ठाकुर प्रसाद, सुनील पांडे, राधेप्रसाद यादव, सत्येंद्र यादव और संजय यादव का धारा 161 दण्ड प्रक्रिया संहिता का बयान दर्ज किया था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

प्रतिपरीक्षण में उसने स्वीकार कि उसने अभियुक्त राज मिश्रा का बयान प्रदर्श. पी/13 दिनांक 13.03.2020 को पर लगभग 8 बजे प्रातः दर्ज किया था। अपने मेमोरण्डम बयान में उसने अपनी कार के बारे में कुछ नहीं बताया है। अंतिम रिपोर्ट में इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है कि अभियुक्त राज मिश्रा से जब्त की गई कार का मालिक कौन है। उसने आगे यह भी स्वीकार किया कि उसने अभियुक्तों का मेमोरण्डम बयान प्रातः 8 बजे से 9:45 बजे के मध्य दर्ज किया था। उसने यह भी स्वीकार किया कि कार की जब्ती का समय 8:20 बजे बताया गया है। उक्त् कार संग्राम चौक, वैशाली नगर से जब्त की गई है। वह दोनों स्थानों पर एक ही समय पर अपनी उपस्थिति के बारे में स्पष्ट नहीं कर सका,

क्योंकि उसने स्वीकार किया कि उसने पुलिस थाने में ज्ञापन बयान दर्ज किया था, जबकि उसी समय कार की जब्ती संग्राम चौक, वैशाली नगर से दर्शाई गई है। उसने आगे कहा कि वह यह कारण नहीं बता सकता कि कार के मालिक के संबंध में साक्ष्य क्यों एकत्र नहीं किए गए। उन्होंने यह भी कहा कि जिस स्थान से आरोपियों से हथियार जब्त किया गया है, वह खुला स्थान है और वहां कोई भी पहुंच सकता है। उन्होंने स्वीकार किया कि आरोपियों को हिरासत में लेने का समय अंतिम रिपोर्ट में नहीं बताया गया है। सामान दिनांक 13.03.2020 को जब्त किया गया था, लेकिन इसे लगभग डेढ़ महीने बाद एफएसएल जांच के लिए भेजा गया था और इसमें देरी का कोई कारण नहीं बताया गया है। जब्त सामान मालखाना की सुरक्षित अभिरक्षा में रखा गया था, लेकिन मामले में कोई मालखाना रजिस्टर या रोजनामचा पेश नहीं किया गया, जिससे यह साबित हो सके कि सामान मालखाना में सुरक्षित अभिरक्षा में रखा गया था। यहां तक कि मालखाना मोहर्रिर को भी मामले में गवाह नहीं बनाया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि वे यह कारण नहीं बता सकते कि हमले के जब्त हथियारों को एक महीने की अवधि के बाद डॉक्टर के समक्ष जांच रिपोर्ट के लिए क्यों भेजा गया। उन्होंने आगे कहा कि उन्होंने गवाहों के बयान दर्ज किए हैं, जो कुछ भी गवाहों ने कहा है, उसने उससे अधिक कुछ नहीं लिखा है। गवाह संजय यादव ने अपने पुलिस बयान में यह नहीं कहा है कि उन्होंने अपीलकर्ता राज मिश्रा को हाथ में डंडा लिए देखा था। उन्होंने स्वीकार किया कि गवाह राधे प्रसाद यादव ने अपने पुलिस बयान में यह नहीं कहा है कि अपीलकर्ता राज मिश्रा को पुलिस स्टेशन ले जाया जा रहा था और उन्होंने हमलावरों के नाम बताए हैं। उन्होंने अपीलकर्ता राज मिश्रा द्वारा अपने बेटे को होली

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

खेलने के लिए बुलाने के बारे में किए गए टेलीफोन कॉल के बारे में भी नहीं बताया है। उन्होंने दोहराया कि गवाहों के धारा 161 दण्ड प्रक्रिया संहिता के बयान में जो कुछ भी था, उन्होंने उनके सामने कहा है और वही उनके धारा 161 दण्ड प्रक्रिया संहिता के बयान में लिखित रूप में दर्ज किया गया है। जिस स्थान पर घटना हुई, उसके आसपास के लोगों को मामले में गवाह नहीं बनाया गया है। केस डायरी में इस बात का कोई समर्थन नहीं है कि घटना की तारीख पर अपीलकर्ता राज मिश्रा ने मृतक शैलेश यादव को कोई टेलीफोन कॉल नहीं किया था। कांस्टेबल अजय गहलोत द्वारा ट्रू कॉलर के माध्यम से जांच की गई तो पता चला कि घटना के दिन राज मिश्रा ने मृतक शैलेश यादव को कोई फोन कॉल नहीं किया था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

39 प्रस्तुत मामले में अभियोजन पक्ष ने प्रत्यक्षदर्शी अभियोजन साक्षी क्रमांक-1 हरिश्चंद यादव, अभियोजन साक्षी क्रमांक-4 सुनील पांडेय, अभियोजन साक्षी क्रमांक-5 रामहरि गोंड एवं अभियोजन साक्षी क्रमांक-6 मनीष यादव के साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं। अभियोजन साक्षी क्रमांक-1 हरिश्चंद यादव का धारा 161 दण्ड प्रक्रिया संहिता का बयान 02.04.2020 को यानि घटना के लगभग 23 दिन बाद दर्ज किया गया। अपने धारा 161 दण्ड प्रक्रिया संहिता बयान में उसने सभी अभियुक्तों के नाम बताए हैं, जबकि न्यायालय के समक्ष दिए गए अपने बयान में उसने कहा है कि केवल पांच अभियुक्त ही मृतक पर हमला कर रहे थे। उसने आगे कहा है कि पुलिस के निर्देश पर उसका धारा 164 दण्ड प्रक्रिया संहिता का बयान दर्ज किया गया है। घटना को देखने के बावजूद उसने न तो पुलिस को सूचना दी और न ही परिजनों को। हालांकि उसने अपने बयान में कहा है कि

जब वह मृतक के घर गया तो उसका घर बंद मिला, लेकिन उसने आसपास के किसी को इसकी सूचना नहीं दी। उनके साक्ष्य के अनुसार, घटना के लगभग 2 दिन बाद, वह घटना के बारे में जानने के लिए मृतक के घर गया, जिससे स्पष्ट है कि उसने स्वयं वास्तविक घटना नहीं देखी है। उनके साक्ष्य में उनके धारा 161 और धारा 164 दण्ड प्रक्रिया संहिता के बयान के साथ भौतिक विरोधाभास हैं। उनका कहना है कि वह घटना की तारीख से बहुत पहले से मृतक के परिवार को जानता हैं और इसके बावजूद घटना के बारे में न बताना और उसके घर न जाना उनके साक्ष्य को संदिग्ध बनाता है कि उन्होंने वास्तव में घटना देखी है या नहीं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

40 अन्य गवाह अभियोजन साक्षी क्रमांक-4, सुनील पांडे, जिनका धारा 161 दण्ड प्रक्रिया संहिता का बयान दिनांक 13.03.2020 को दर्ज किया गया था, यानी घटना के लगभग 3 दिन बाद, इस साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर दिया गया है और उसने अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं किया है। उसने पुलिस बयान प्र. पी/33 और धारा 164 दण्ड प्रक्रिया संहिता के बयान प्र. पी/32 को देने से इनकार किया। जब अभियोजन पक्ष ने उसे एक प्रत्यक्षदर्शी के रूप में पेश किया और उसने उनके मामले का समर्थन नहीं किया, तो इससे अभियुक्तों के प्रतिरक्षा को मजबूती मिलती है।

41 एक अन्य प्रत्यक्षदर्शी अभियोजन साक्षी क्रमांक-5 रामहरि गोंड है, जिसका धारा 161 दण्ड प्रक्रिया संहिता का बयान प्रदर्श. पी/35 भी दिनांक 02.04.2020 को अर्थात घटना के लगभग 23 दिन पश्चात दर्ज किया गया। वह मृतक का मित्र है तथा उसके परिवार को भी जानता है, फिर भी घटना को देखने के पश्चात भी उसने घटना के बारे में न

तो पुलिस को बताया और न ही मृतक के परिवार वालों को। यद्यपि इस साक्षी ने यह भी कहा है कि जब वह मृतक के घर उसके परिवार वालों को सूचना देने गया तो उसका घर बंद मिला तथा जब वह स्पर्श अस्पताल वापस लौटा तो मृतक के पिता वहां पहले ही पहुंच चुके थे तथा वह अपने पिता के साथ मृतक को सेक्टर-9 अस्पताल लेकर गए थे। उसने तुरन्त मृतक के पिता को मृतक पर हमला करने वाले पांच हमलावरों के नाम बताए। उसके साक्ष्य में उसके धारा 161 तथा धारा 164 दण्ड प्रक्रिया संहिता के बयान में भी काफी चूक तथा विरोधाभास है। इस साक्षी ने यह कहा है कि घटना दिनांक को ही उसने मृतक के पिता अभियोजन साक्षी क्रमांक-14-राधेप्रसाद यादव को घटना की जानकारी दी थी, जबकि राधेप्रसाद यादव ने अपने साक्ष्य में यह नहीं कहा है कि घटना दिनांक को ही अभियोजन साक्षी क्रमांक-5 ने उसे हमलावरों के नाम बताये थे, तथा वह घटना का साक्षी था। अभियोजन साक्षी क्रमांक-5 को भी उसके पुलिस कथन के कुछ भाग में पक्षद्रोही घोषित किया गया है तथा उसके कथन के कुछ भाग को देने से इन्कार किया गया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

42 अन्य प्रत्यक्षदर्शी मनीष यादव, अभियोजन साक्षी क्रमांक-6 है, जिसका धारा 161 दण्ड प्रक्रिया संहिता का बयान दिनांक 09.04.2020 को अर्थात् घटना के लगभग 29 दिन पश्चात दर्ज किया गया है। उसने घटना की सूचना न तो पुलिस को दी है और न ही मृतक के परिजनों को। इस गवाह का मृतक के साथ व्यापारिक लेन-देन था, फिर भी उसने घटना की सूचना किसी को नहीं दी तथा रायपुर चला गया था। उसे भी पक्षद्रोही घोषित किया गया है तथा उसने अपने पुलिस बयान प्र. पी/35 के कुछ भाग से इन्कार

किया है। इस गवाह के साक्ष्य में भी उसके धारा 161 दण्ड प्रक्रिया संहिता के बयान के साथ भौतिक चूक तथा विरोधाभास है।

43 मृतक के भाई अभियोजन साक्षी क्रमांक-2 संजय यादव ने जो प्रत्यक्षदर्शी होने का दावा भी कर रहे हैं, उसने बताया है कि घटना दिनांक को जब वे मौके पर पहुंचे तो देखा कि मौके पर भीड़ जमा थी तथा आरोपी रामकुबेर गुप्ता के हाथ में लोहे की रॉड थी, मुनीर गुप्ता, सुनील गुप्ता, पी. गोपीराव, रमेश जांगड़े तथा राज मिश्रा सभी लाठी-डंडे लेकर खड़े थे। आरोपी रामकुबेर गुप्ता धमकी दे रहे थे कि यदि किसी ने उनके खिलाफ गवाही दी तो उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। घटना दिनांक को शव देखने के तुरंत बाद वे अपने पिता अभियोजन साक्षी क्रमांक-14 राधे प्रसाद के साथ रिपोर्ट दर्ज कराने थाने गए थे, लेकिन उनका धारा 161 दण्ड प्रक्रिया संहिता का बयान दिनांक 13.03.2020 को यानी घटना के करीब 3 दिन बाद दर्ज हुआ है। यदि वह घटना की तिथि को ही पुलिस स्टेशन गया होता और घटना का प्रत्यक्षदर्शी होता, तो उसका बयान पहले दर्ज किया जाना चाहिए था, न कि घटना के तीन दिन बाद। इसके अलावा, अन्य प्रत्यक्षदर्शियों के साक्ष्य से यह प्रतीत होता है कि अपीलकर्ता राज मिश्रा ने मृतक के शरीर को कार से कुचल दिया था और भाग गया था, फिर अपीलकर्ता राज मिश्रा की घटनास्थल पर मौजूदगी, जैसा कि अभियोजन साक्षी क्रमांक-2 ने देखा था, भी संदिग्ध है, खासकर तब जब अन्य प्रत्यक्षदर्शियों ने विशेष रूप से आरोपी राज मिश्रा की संबंधित अपराध में संलिप्तता से इनकार किया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

44 मृतक के पिता राधे प्रसाद यादव का धारा 161 दण्ड प्रक्रिया संहिता का बयान प्रदर्श.डी/3 भी दिनांक 13.03.2020 को दर्ज किया गया। उन्होंने अपने बयान में यह नहीं बताया है कि उनके पुत्र संजय यादव अभियोजन साक्षी क्रमांक-2 ने घटना के बारे में बताया है तथा उन्होंने अन्य अभियुक्तों को हाथ में लाठी लिए खड़े देखा था। इस साक्षी ने अपने बयान में कहा है कि जब उन्होंने घटना दिनांक को ही पुलिस को घटना की जानकारी दी तो पुलिस ने किसी भी अभियुक्त के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की। इसके बाद वे आसपास के लोगों के साथ पुनः थाने गए तथा इसी बीच अभियुक्त राज मिश्रा को पुलिस द्वारा थाने में लाया गया तथा तब राज मिश्रा ने हमलावरों के नाम बताए जिन्होंने मृतक पर हमला किया था। उन्होंने आगे बताया है कि अभियुक्त राज मिश्रा ने लगभग आठ अभियुक्तों के नाम बताए हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

45 प्रत्यक्षदर्शियों के समग्र साक्ष्य से ऐसा प्रतीत होता है कि सभी प्रत्यक्षदर्शियों के साक्ष्य में भौतिक असंगतियां हैं।

46 माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **Muluwa Vs. State of Madhya Pradesh AIR 1976 SC 989** के मामले में माना है कि प्रत्यक्षदर्शियों की असंगतता अभियोजन पक्ष के लिए घातक है। पैराग्राफ 18 में इसे इस प्रकार माना गया है:

> "18. यह प्राथमिक बात है कि एक कमजोर गवाह का साक्ष्य केवल इसलिए विश्वसनीय नहीं हो जाता है क्योंकि उसे उसी ब्रांड के कई गवाहों द्वारा पुष्ट किया गया है; क्योंकि साक्ष्य को तौला जाना चाहिए, गिना नहीं जाना चाहिए। चूंकि अभियोजन साक्षी क्रमांक 5 और 6 के साक्ष्य में श्रीमती जुगतिया के समान ही कमजोरियां थीं, इसलिए यह नहीं कहा जा

सकता कि ट्रायल जज के पास इसे अविश्वसनीय करार देने का कोई आधार नहीं था।"

47 जहां तक गवाहों के बयान दर्ज करने में देरी का सवाल है, गवाह अभियोजन साक्षी क्रमांक-2 संजय यादव, अभियोजन साक्षी क्रमांक-4 सुनील पांडे और अभियोजन साक्षी क्रमांक-14 राधे प्रसाद यादव के बयान दिनांक 3.03.2020 को यानी घटना की तारीख से 3 दिन बाद दर्ज किए गए। इस बात का कोई स्पष्टीकरण नहीं है कि बयान दर्ज करने में देरी क्यों हुई, जबकि वे पूरी तरह से उपलब्ध थे। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **Shahid Khan Vs. State of Rajasthan, 2016(4) SCC 96**, में माना है कि प्रत्यक्षदर्शी के बयान दर्ज करने में तीन दिन की देरी अभियोजन पक्ष के मामले के लिए घातक है, जैसा कि पैराग्राफ 20 में निम्नानुसार है:

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

"20. अभियोजन साक्षी क्रमांक 25 मिर्जा मजीद बेग और अभियोजन साक्षी क्रमांक 24 मोहम्मद शाकिर के बयान घटना के 3 दिन बाद दर्ज किए गए थे। इस बात का कोई स्पष्टीकरण नहीं है कि उनसे 3 दिन तक पूछताछ क्यों नहीं की गई। यह भी पता नहीं है कि पुलिस को कैसे पता चला कि इन गवाहों ने घटना देखी थी। बयान दर्ज करने में देरी से उनके घटना के चश्मदीद गवाह होने पर गंभीर संदेह पैदा होता है। यह सुझाव दिया जा सकता है कि जांच अधिकारी जानबूझकर मामले को आकार देने और चश्मदीद गवाहों को पेश करने के बारे में निर्णय लेने के उद्देश्य से समय बिता रहे थे। इस मामले में परिस्थितियाँ इस देरी को इतना महत्व देती हैं। अभियोजन साक्षी क्रमांक 25 मिर्जा मजीद बेग और अभियोजन साक्षी क्रमांक 24 मोहम्मद शाकिर, उनकी अस्पष्ट चुप्पी और पुलिस के सामने देरी से दिए गए बयान के मद्देनजर, हमें पूरी तरह से विश्वसनीय गवाह नहीं लगते हैं। किसी अन्य स्वतंत्र स्रोत से भी उनके साक्ष्य की पुष्टि नहीं हुई है। हम अपीलकर्ताओं की सजा और सजा को बरकरार रखने के लिए केवल उनके साक्ष्य पर भरोसा करना असुरक्षित पाते हैं। उच्च न्यायालय अपीलकर्ताओं द्वारा उठाए गए तर्कों पर ध्यान देने और साक्ष्यों

का पुनर्मूल्यांकन करने में विफल रहा है, जिसके परिणामस्वरूप न्याय में चूक हुई है। हमारी राय में, अपीलकर्ताओं के खिलाफ मामला उचित संदेह से परे साबित नहीं हुआ है।"

48 धारा 161 दण्ड प्रक्रिया संहिता के बयान दर्ज करने में देरी के समान मुद्दे से निपटते हुए **Hasan Murtza Vs. Haryana, 2002(3) SCC 1,** में यह निम्नानुसार देखा गया था:

".....हमारा निष्कर्ष इस तथ्य से और मजबूत होता है कि विचाराधीन घटना लगभग 7 बजे हुई थी, लेकिन रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्य के अनुसार उसका बयान केवल 10 बजे दर्ज किया गया था, जब उसके बेटे ने पुलिस को सूचित किया था और यह देरी भी घटना के समय अभियोजन साक्षी क्रमांक 4 की उपस्थिति के बारे में हमारे संदेह में योगदान देती है।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

49 जहां तक मकसद का सवाल है, अभियोजन पक्ष ने मृतक की मां अभियोजन साक्षी क्रमांक-8 उषा यादव के साक्ष्य पेश किए हैं। उन्होंने अपने साक्ष्य में कहा है कि उनके बेटे ने आरोपी राज मिश्रा से 50,000 रुपये उधार लिए थे। वह उक्त राशि की अदायगी के लिए उसे परेशान कर रहा था। इस गवाह को भी उसके साक्ष्य के कुछ हिस्से पर प्रतिकूल घोषित किया गया था और उसने अपने पुलिस बयान प्रदर्श. डी/1 से विचलन नहीं किया है। मृतक की हत्या के मकसद के संबंध में कोई पुख्ता सबूत नहीं है। अभियोजन साक्षी क्रमांक-8 का साक्ष्य उस गुणवत्ता का नहीं है जिस पर अपराध करने के मकसद पर विचार करने के लिए भरोसा किया जा सके। परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर मामले में, आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ आरोप को पुख्ता करने में मकसद की महत्वपूर्ण भूमिका है।

50 **2010 (6) SCC 525, Niranjan Panja Vs. State of West Bengal,** के अपने फैसले के पैराग्राफ 15 में सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर मामले में मकसद की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हालाँकि, वर्तमान मामले में, अभियोजन पक्ष का मामला चश्मदीद गवाहों पर आधारित है, लेकिन वे अविश्वसनीय हैं और उनके साक्ष्य अविश्वसनीय हैं, इसलिए, वर्तमान मामले में मकसद की महत्वपूर्ण भूमिका है। वर्तमान मामले में, परिस्थितियों की श्रृंखला को पूरा करने के लिए मकसद की एक कड़ी गायब है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

51 इसके अलावा, अभियुक्तों को दोषी ठहराते समय ट्रायल कोर्ट ने गवाहों के धारा 164 दण्ड प्रक्रिया संहिता के बयान पर विचार किया है। **Ram Kishan Singh Vs. Harmit Kaur & another, 1972 (3) SCC 280,** के मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि धारा 164 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत दर्ज बयान ठोस सबूत नहीं है, इसका इस्तेमाल केवल गवाहों के बयान की पुष्टि के लिए किया जा सकता है। पैराग्राफ 8 में, इसे निम्नानुसार उल्लेख किया गया है:

> "8. दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के तहत एक बयान ठोस सबूत नहीं है। इसका इस्तेमाल गवाह के बयान की पुष्टि करने के लिए किया जा सकता है। इसका इस्तेमाल गवाह का खंडन करने के लिए किया जा सकता है। सत्र न्यायाधीश द्वारा पहली सूचना रिपोर्ट पर विचार किया गया। दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के तहत हजूरा सिंह के बयान पर विशेष विचार करने से कोई अलग नतीजा नहीं निकल सकता था, क्योंकि सत्र न्यायाधीश ने निहाल नूर, हरमीत कौर और हजूरा सिंह के मौखिक साक्ष्य को अविश्वसनीय, असत्य और विश्वास के अयोग्य बताकर खारिज कर दिया था।

52 माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय **George and Others Vs. State of Kerala & Another, 1998 (4) SCC 605**, के पैरा 36 में निम्न प्रकार से कहा है:

> "36. अब हम अभियोजन साक्षी क्रमांक 50 के साक्ष्य पर विचार कर सकते हैं, जिसका विवरण पहले दिया जा चुका है। ट्रायल कोर्ट के निर्णय से हम देखते हैं कि उसकी टिप्पणियों के मुख्य भाग (पहले उद्धृत) धारा 164 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत दर्ज किए गए उसके बयान पर आधारित हैं, न कि न्यायालय में उसके साक्ष्य पर। उक्त कथन को मुख्य साक्ष्य माना गया; जैसा कि विद्वान ट्रायल कोर्ट द्वारा की गई अन्य टिप्पणियों के अलावा निम्नलिखित से स्पष्ट होगा:-
>
> > "यदि प्रदर्श पी.42 (धारा 164 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत दर्ज किया गया बयान) एक वास्तविक बयान पाया जाता है, तो इसे आरोपी को अपराध से जोड़ने के लिए एक महत्वपूर्ण साक्ष्य के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है"।
>
> उपरोक्त और इसी तरह की टिप्पणियाँ करते हुए ट्रायल कोर्ट ने फिर से आपराधिक न्यायशास्त्र के एक बुनियादी नियम की अनदेखी की कि धारा 164 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत दर्ज किए गए गवाह के बयान को ठोस सबूत के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है और इसका इस्तेमाल केवल उसके बयान का खंडन या पुष्टि करने के उद्देश्य से किया जा सकता है। उस दृष्टिकोण से अभियोजन साक्षी क्रमांक 50 के साक्ष्य की विवेचन करने के बजाय ट्रायल कोर्ट ने अपना ध्यान मुख्य रूप से उसके दर्ज किए गए बयान तक ही सीमित रखा और उसे बदनाम कर दिया। इस कानूनी दुर्बलता के अलावा, तथ्यात्मक रूप से भी ट्रायल कोर्ट ने स्पष्ट त्रुटियाँ कीं। जैसा कि पहले देखा गया है, उसे अविश्वास करने का एक आधार यह था कि ट्रिप शीट में उस व्यक्ति का नाम नहीं दिखाया गया था जिसने यात्रा की थी, अर्थात, ए 1। यदि ट्रायल कोर्ट ने प्रदर्श पी.54 का हिस्सा बनने वाली अन्य ट्रिप शीटों को देखने की परवाह की होती, तो उसे पता चलता कि उनमें से किसी में भी उस व्यक्ति का नाम नहीं है जिसने कार किराए पर ली थी। इसलिए, ट्रायल कोर्ट का

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

किराएदार के नाम का उल्लेख न करने पर टिप्पणी करना और इस निष्कर्ष पर पहुंचना कि दस्तावेज संदिग्ध है, बिल्कुल भी उचित नहीं था। ट्रायल कोर्ट की यह टिप्पणी कि अभियोजन साक्षी क्रमांक 50 ने मजिस्ट्रेट (प्रदर्श पी.42) के समक्ष बयान पुलिस को उपकृत करने के लिए दिया था, क्योंकि उसके भाई को आबकारी मामले के संबंध में गिरफ्तार किया गया था, भी किसी भी तरह से निराधार है। उपरोक्त निष्कर्ष निकालने में ट्रायल कोर्ट इस तथ्य से काफी प्रभावित था कि विचाराधीन कार, अर्थात् KEK 3114 को पुलिस ने 31 मई, 19920 को जब्त किया था और इसे 28 जून, 1990 को छोड़ा गया था। ट्रायल कोर्ट के अनुसार, पुलिस ने अभियोजन साक्षी क्रमांक 50 को अपने आदेश के अनुसार बयान देने के लिए मजबूर करने के लिए उसे इतने लंबे समय तक गलत तरीके से हिरासत में रखा था। एक बार जब कार किसी मामले के संबंध में जब्त कर ली जाती है तो उसे केवल सक्षम न्यायालय के आदेश के अनुसार ही वापस किया जा सकता है और रिकॉर्ड में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे यह संकेत मिले कि ऐसे आदेश के बावजूद कार वापस नहीं की गई, जिससे ट्रायल कोर्ट को यह टिप्पणी करने का अधिकार मिले कि कार का लंबे समय तक हिरासत में रहना अपने आप में एक संदिग्ध परिस्थिति थी। अभियोजन साक्षी क्रमांक 50 के साक्ष्यों को देखने के बाद हम पाते हैं कि अभियोजन साक्षी क्रमांक 50 पर अविश्वास करने के लिए ट्रायल कोर्ट द्वारा बताए गए प्रत्येक कारण या तो कानूनी रूप से असंतुलित हैं या तथ्यात्मक रूप से गलत हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

53 जहां तक आरोपी व्यक्तियों के मेमोरण्डम कथन और उसके आधार पर हमले के हथियार की बरामदगी का सवाल है, अभियोजन पक्ष का मामला यह है कि आरोपी व्यक्तियों से बांस की लाठियां और वेर्ना कार बरामद की गई (जैसा कि पिछले पैराग्राफ में दी गई विस्तृत सूची के अनुसार) जिसे उसके गवाह अभियोजन साक्षी क्रमांक-3 शाहिद हुसैन और अभियोजन साक्षी क्रमांक-7 कुणाल पटनायक द्वारा साबित किया जाना है। अभियोजन साक्षी क्रमांक-3 शाहिद हुसैन अपने बयान से पलट गए हैं और अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं किया है। हालांकि, अभियोजन साक्षी क्रमांक-7 कुणाल

पटनायक ने कहा है कि हमले के हथियार केवल पांच आरोपियों से जब्त किए गए हैं और उनकी उपस्थिति में उन्होंने अपना ज्ञापन कथन दिया है और उनसे जब्ती की गई है। उन्होंने अपने बयान में कहा है कि आरोपी सुनील, सोमनाथ, रामकुबेर, शंभू, गोपीराव और रमेश जांगड़े से लाठियां जब्त की गई हैं। उन्होंने आरोपी राज मिश्रा और ऋषभ पासवान से किसी भी तरह की आपत्तिजनक वस्तु या हथियार जब्त किए जाने से इनकार किया। अभियोजन साक्षी क्रमांक-15, दिलीप सिंह सिसोदिया, जो एक जांच अधिकारी हैं, ने अपने बयान में कहा है कि उन्होंने अपराध के जब्त हथियार को एफएसएल जांच के लिए दिनांक 23.04.2020 को मेमो प्रदर्श.पी/63 के जरिए एफएसएल रायपुर भेजा था। प्रतिपरीक्षण में उन्होंने स्वीकार किया कि जिस स्थान से आरोपियों से डंडे जब्त किए गए थे, वह खुला स्थान है और आम लोगों के लिए सुलभ है। उन्होंने आगे कहा कि घटना में प्रयुक्त हथियार आरोपियों से दिनांक 13.03.2020 को जब्त किया गया था, लेकिन लगभग डेढ़ महीने बाद एफएसएल जांच के लिए भेजा गया था। उन्होंने स्वीकार किया कि जब्त किए गए सामानों को एफएसएल जांच के लिए भेजने में देरी का कोई कारण नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि जब्त किए गए अपराध के सामान/हथियार को मालखाना मोहरिर को मालखाना में सुरक्षित रखने के लिए दिया गया था, लेकिन वर्तमान मामले में न तो कोई मालखाना रजिस्टर पेश किया गया है और न ही मालखाना मोहरिर को यह साबित करने के लिए गवाह बनाया गया है कि जब्त किए गए अपराध के सामान/हथियार को सुरक्षित रखा गया था और उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि वह यह नहीं बता सकते

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

कि जब्त किए गए सामान को लगभग एक महीने बाद डॉक्टर के पास जांच के लिए क्यों भेजा गया।

54 इसके अलावा, एफएसएल रिपोर्ट प्रदर्श. पी/65 में ऐसा कोई रक्त समूह नहीं पाया गया है जिससे अभियुक्तों द्वारा इस्तेमाल किए गए अपराध के हथियार को जोड़ा जा सके कि उसमें मृतक के रक्त समूह के समान ही रक्त समूह पाया गया है। हालांकि, क्लबों पर मानव रक्त पाया गया था, लेकिन यह अपने आप में संबंधित अपराध में अभियुक्तों को जोड़ने के लिए पर्याप्त नहीं है, खासकर जब उक्त अपराध का हथियार सभी के लिए सुलभ खुले स्थान से जब्त किया गया था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

55 हाल ही में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **Raja Naykar Vs. State of Chhattisgarh, 2024 SCC OnLine SC 67** में माना है कि मृतक के रक्त समूह और अपराध के हथियार की बरामदगी के संबंध में किसी भी रिपोर्ट के अभाव में, जो खुले स्थान से जब्त किए गए हैं, उन्हें आरोपी व्यक्तियों को अपराध में जोड़ने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। अपने फैसले के पैराग्राफ 25, 26 और 29 में यह निम्नानुसार देखा गया:

> "25. संपत्ति जब्ती ज्ञापन से पता चलता है कि खंजर सभी के लिए सुलभ स्थान से जब्त किया गया था। अभियोजन पक्ष के अनुसार, घटना 21 अक्टूबर, 2009 को हुई और 25 अक्टूबर, 2009 को बरामदगी की गई।
>
> 26. एफएसएल रिपोर्ट के अनुसार, खंजर पर पाए गए खून के धब्बे मानव रक्त के थे। हालांकि, एफएसएल रिपोर्ट यह नहीं दर्शाती है कि खंजर पर

पाया गया खून मृतक के रक्त समूह का था। इसके अलावा, सीरोलॉजिकल रिपोर्ट भी उपलब्ध नहीं है।

xxxx xxxx xxxx

29. इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि, एकमात्र परिस्थिति जो अभियोजन पक्ष के मामले में कुछ सहायता कर सकती है, वह वर्तमान अपीलकर्ता के कहने पर खंजर की बरामदगी है। हालाँकि, जैसा कि पहले ही यहाँ कहा गया है, उक्त बरामदगी भी एक खुले स्थान से हुई है जहाँ सभी पहुँच सकते हैं। किसी भी मामले में, खंजर पर पाया गया खून मृतक के रक्त समूह से मेल नहीं खाता है। मुस्तकीम उर्फ सिराजुद्दीन बनाम राजस्थान राज्य 3 के मामले में, इस न्यायालय ने माना कि खून से सने हथियार की बरामदगी की एकमात्र परिस्थिति दोषसिद्धि का आधार नहीं बन सकती जब तक कि वह अभियुक्त द्वारा मृतक की हत्या से जुड़ी न हो। इस प्रकार, हम पाते हैं कि केवल रक्त-रंजित हथियार की बरामदगी की एकमात्र परिस्थिति के आधार पर, यह नहीं कहा जा सकता है कि अभियोजन पक्ष ने मामले को उचित संदेह से परे साबित करने का अपना दायित्व पूरा कर लिया है।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

56 अभियुक्तगण ने अपने पक्ष में पांच बचाव गवाहों सरोज वर्मा, साक्षी क्रमांक-1, जय प्रकाश जायसवाल, प्रतिरक्षा साक्षी क्रमांक-2, डिकेश कुमार देवांगन, प्रतिरक्षा साक्षी क्रमांक-3, सोमवती, प्रतिरक्षा साक्षी क्रमांक-4 एवं शारदा शिंदे, प्रतिरक्षा साक्षी क्रमांक-5 का साक्ष्य प्रस्तुत कर अपना बचाव करने का प्रयास किया है। बचाव पक्ष के सभी गवाहों का कहना था कि मृतक की मृत्यु सड़क दुर्घटना के कारण हुई है। सभी गवाहों ने अपने बयान में कहा है कि उन्होंने दुर्घटना को एक वाहन द्वारा होते हुए देखा था तथा दुर्घटना करने के बाद वाहन भाग गया था। चूंकि उपरोक्त विवेचना एवं चिकित्सक के साक्ष्य से यह पाया गया है कि मृतक के शरीर पर वाहन द्वारा कुचले जाने अथवा टायर के निशान का कोई निशान नहीं पाया गया है, अतः बचाव पक्ष के इन गवाहों के साक्ष्य विश्वसनीय नहीं हैं तथा मामले को दुर्घटना के रूप में प्रस्तुत करने का उनका प्रयास निराधार है। यहां तक कि

अगर यह पाया जाता है कि आरोपी व्यक्ति मामले में झूठा बचाव कर रहे हैं, तो भी यह अपने आप में आरोपी व्यक्तियों को दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त नहीं होगा और अभियोजन पक्ष पर आरोप लगाने वालों के खिलाफ किसी भी उचित संदेह से परे अपना मामला साबित करने का बोझ नहीं होगा। अभियोजन पक्ष का दायित्व है कि वह प्रत्येक जोड़ने वाले साक्ष्य को निर्विवाद साक्ष्य के साथ साबित करे जो आरोपी व्यक्तियों के अपराध को स्पष्ट रूप से इंगित करता हो।

57 **Raja Naykar Vs. State of Chhattisgarh (Supra)** में सर्वोच्च न्यायालय ने पुनः माना है कि अभियुक्त के झूठे स्पष्टीकरण या गैर-स्पष्टीकरण पर तभी विचार किया जा सकता है जब अभियोजन पक्ष द्वारा मामले को सभी उचित संदेहों से परे साबित कर दिया जाए, लेकिन वर्तमान मामले में ऐसी स्थिति नहीं है क्योंकि वर्तमान मामले में अभियोजन पक्ष अभियुक्तों के विरुद्ध सभी उचित संदेहों से परे अपना मामला साबित करने में विफल रहा है। अपने निर्णय के पैराग्राफ 31 में सर्वोच्च न्यायालय ने निम्न प्रकार से माना है:

> "31. जहां तक उच्च न्यायालय के इस निष्कर्ष का संबंध है कि अपीलकर्ता धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत अपने बयान में कोई स्पष्टीकरण देने में विफल रहा है, हम पाते हैं कि उच्च न्यायालय इस मूल सिद्धांत को समझने में विफल रहा है कि अभियोजन पक्ष द्वारा मामले को सभी उचित संदेहों से परे साबित करने के अपने कर्तव्य का निर्वहन करने के बाद ही अभियुक्त के झूठे स्पष्टीकरण या गैर-स्पष्टीकरण पर विचार किया जा सकता है। किसी भी मामले में, जैसा कि Sharad Birdhichand sarda 3 AIR 2011 SC 2769=2011 INSC 487 (Supra) के मामले में इस न्यायालय द्वारा माना गया है, परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित मामले

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

> में, धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत अभियुक्त द्वारा स्पष्टीकरण न दिए जाने या गलत स्पष्टीकरण को परिस्थितियों की श्रृंखला को पूरा करने के लिए एक अतिरिक्त कड़ी के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। इसका उपयोग केवल अन्य सिद्ध परिस्थितियों के आधार पर पहले से ही प्राप्त दोष के निष्कर्ष को मजबूत करने के लिए किया जा सकता है।

58 वर्तमान मामले में अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत चश्मदीद गवाह विश्वसनीय नहीं हैं। उनके साक्ष्य में भौतिक असंगतियाँ हैं। उनके बयानों को देरी से दर्ज करना भी अभियोजन पक्ष के लिए घातक है। अभियुक्तों का मेमोरण्डम बयान व लाठियों की बरामदगी उन्हें संबंधित अपराध से जोड़ने के लिए पर्याप्त नहीं हैं क्योंकि उन्हें जब्ती के लगभग डेढ़ महीने बाद एफएसएल जांच के लिए भेजा गया था। रिकॉर्ड पर कोई सबूत नहीं है कि उक्त सामान मालखाने की सुरक्षित अभिरक्षा में रखे गए थे और उनके साथ छेड़छाड़ की संभावना थी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

59 परिणामस्वरूप, दोनों अपीलें स्वीकार की जाती हैं। अपीलकर्ताओं/आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए सभी आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है। आलोच्य निर्णय व दण्डादेश दिनांक 21.09.2023 को अपास्त किया जाता है। अपीलकर्तागण को अभिरक्षा में रहना बताया गया है जिससे यदि किसी अन्य मामले में उनकी आवश्यकता न हो, तो उन्हें रिहा किया जाए।

60 दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 437-ए के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, अपीलकर्ताओं को निर्देश दिया जाता है कि वे दंड प्रक्रिया संहिता में निर्धारित प्रपत्र संख्या 45 के अनुसार 25,000 रुपये का व्यक्तिगत बांड तथा समान राशि का एक विश्वसनीय

जमानतदार संबंधित न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें, जो छह महीने की अवधि के लिए प्रभावी होगा, साथ ही यह वचन भी दें कि तत्काल निर्णय के विरुद्ध या अनुमति प्रदान करने के लिए विशेष अनुमति याचिका दायर करने की स्थिति में, उक्त अपीलकर्ता इसकी सूचना प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष उपस्थित होंगे।

61 इस निर्णय की एक प्रति विचारण न्यायालय के मूल अभिलेख के साथ संलग्न कर अनुपालन और आवश्यक कार्रवाई के लिए संबंधित विचारण न्यायालय को तत्काल वापस प्रेषित किया जाए।

Sd/-
(रविंद्र कुमार अग्रवाल)
न्यायाधीश

Sd/-
(रमेश सिन्हा)
मुख्य न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**